कॉरपोरेट अभिशासन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

के एस अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एफ - 7, लक्ष्मी मिल,
शक्ति मिल लेन,
(डॉ. ई. मोसेस रोड के पास)
महालक्ष्मी,
मुंबई - 400 011.

एम पी चितले एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

पहली मंजिल, हमाम हाउस
अंबालाल दोशी मार्ग,
फोर्ट,
मुंबई - 400001

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण,

1. हम **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** (जिसे इसमें आगे ''बैंक'' कहा जाएगा), जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400 005 में स्थित है तथा जिसकी दिनांक 03 मई 2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी गई है, उसके संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक हैं. हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 यथा संशोधित ''सेबी सूचीबद्धता विनियम'' के विनियम 17 से 27 में और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी, डी और ई में निर्दिष्टानुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. सेबी सूचीबद्धता विनियम में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की रूपरेखा, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी शामिल है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है. यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है.
4. हमने बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं के अनुपालन पर समुचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक के खाता-बहियों तथा अन्य संबधित अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है.
5. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानक जो कि इस प्रमाणन के उद्देश्य के लिए लागू हैं तथा रिपोर्टों पर मार्गदर्शी नोट अथवा आईसीएआई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों हेतु प्रमाणपत्र जिसके द्वारा यह अपेक्षित है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें, के अनुसार संबंधित अभिलेखों की जांच की है.
6. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, लेखा परीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना की समीक्षा और अन्य आश्वासन व सम्बद्ध सेवा वचनबद्धताओं के लिए लागू अपक्षाओं का अनुपालन किया है.

अभिमत

7. हमारे अभिमत एवं हमारी सर्वोतम जानकारी में तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ऊपर उल्लिखित सेबी सूचीबद्धता विनियम में यथा निर्धारित रूप में कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

अन्य मामले

8. हम आगे उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कार्यों को संचालित करने की प्रबंधन की कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता के बारे में आश्वासन है.

प्रयोग पर प्रतिबंध

9. यह रिपोर्ट बैंक के सदस्यों को कॉरपोरेट अभिशासन के संबंधित विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में सूचीबद्धता विनियम के तहत अपने दायित्वों के अनुपालन करने के एकमात्र उद्देश्य से बैंक के सदस्यों को संबोधित और उपलब्ध कराई गई है तथा इसका प्रयोग किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तदनुसार हम बिना हमारी लिखित पूर्वसहमति के किसी अन्य उद्देश्य के लिए अथवा किसी अन्य पक्ष को यह दिखायी जाने पर अथवा किसी अन्य को उपलब्ध हो जाने पर कोई देयता अथवा सावधानी संबंधी कर्तव्य का दायित्व स्वीकार अथवा मान्य नहीं करते हैं. इस रिपोर्ट की तारीख के बाद घटित होनेवाली घटनाओं और परिस्थितियों को अद्यतित करने के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है.

कृते **के एस अय्यर एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार,
फ़र्म पं. सं. 100186W
सतीश केलकर
साझेदार
सदस्यता सं. 038934
यूडीआईएन: 21038934AAAACK2709

कृते **एम पी चितले एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार,
फ़र्म पं. सं. 101851W
आशुतोष पेडणेकर
साझेदार
सदस्यता सं. 041037
यूडीआईएन: 21041037AAAACW6095

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 जून 2021

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन संहिता पर बैंक के दर्शन का संक्षिप्त विवरण

बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इसकी नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने अंशधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की इसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व आपके बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों पर है जिन्हें विधिक एवं विनियामकीय प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित उत्कृष्ट कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस दिशा में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखें, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे. इसके अतिरिक्त, रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना और निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग बैंक के अन्य नीतिगत दिशा-निर्देश हैं. बैंक बोर्ड को निर्बाध रूप से सभी संबद्ध सूचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सकें.

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का दायरा व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बैंक के संस्था अन्तर्नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 [एलओडीआर विनियम] में यथावर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं से शासित होता है. बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

i. विचारार्थ विषय

- शेयरधारकों से उनके शेयरों पर अप्रदत्त धनराशि के संबंध में मांग करना;
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के तहत प्रतिभूतियों की वापसी खरीद को प्राधिकृत करना;
- भारत में या भारत से बाहर डिबेंचरों सहित प्रतिभूतियों को जारी करना;
- धन उधार लेना;
- बैंक की निधियों का निवेश करना;
- वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट अनुमोदित करना.
- बैंक के कारोबार में विविधता लाना;
- समामेलन, विलयन या पुनर्निर्माण को अनुमोदित करना;
- किसी कंपनी का अधिग्रहण करना या किसी अन्य कंपनी में नियंत्रक या पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) को नियुक्त करना या हटाना;
- आंतरिक लेखा-परीक्षकों और सचिवीय लेखा-परीक्षक को नियुक्त करना;
- राजनीतिक योगदान देना;
- निदेशकों के हित और शेयरधारिता के प्रकटन को नोट करना;
- बैंक द्वारा धारित निवेशों (व्यापार निवेशों के अलावा) का क्रय-विक्रय जिसमें निवेशक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का पांच प्रतिशत या उससे अधिक चुकता शेयर पूंजी और निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं;
- यथास्थिति तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों या वित्तीय परिणामों को अनुमोदित करना;
- गैर अनुपालन के मामलों में सुधार करने के लिए बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के साथ बैंक पर लागू सभी कानूनों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक समीक्षा करना;

- निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार करना;
- बैंक के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना, कार्यान्वयन करना और निगरानी सुनिश्चित करना;
- स्वतंत्र निदेशकों, सभी अन्य निदेशकों, बोर्ड की समितियों और संपूर्ण बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना;
- कॉरपोरेट रणनीति, कार्रवाई की प्रमुख योजनाओं, जोखिम नीति, वार्षिक बजट और कारोबार योजना की समीक्षा और मार्गदर्शन, कार्य-निष्पादन के उद्देश्यों की स्थापना, कार्यान्वयन और कॉरपोरेट कार्य-निष्पादन की निगरानी, और प्रमुख पूंजी व्यय, अधिग्रहण और विनिवेशों का निरीक्षण करना;
- बैंक के अभिशासन वाले कार्यों की प्रभावशीलता की निगरानी और उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का चयन, मुआवज़ा, निगरानी, और जब आवश्यक हो, उनका प्रतिस्थापन और उत्तराधिकार योजना का निरीक्षण करना;
- बैंक और उसके शेयरधारकों के दीर्घकालिक हितों के साथ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और निदेशकों के पारिश्रमिक को सुमेलित करना;
- निदेशक मंडल में विचार, अनुभव, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य और लिंग की विविधता के साथ निदेशक मंडल के लिए पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना;
- कॉरपोरेट आस्तियों के दुरुपयोग और संबंधित पक्ष लेनदेनों के गलत उपयोग के साथ-साथ प्रबंधन, निदेशक मंडल के सदस्य और शेयरधारकों के हितों के संभावित टकरावों की निगरानी और प्रबंध करना;
- स्वतंत्र लेखा-परीक्षा सहित बैंक की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना और यह देखना कि नियंत्रण की उचित प्रणाली, मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन, वित्तीय और परिचालनगत नियंत्रण प्रणाली सुव्यवस्थित है तथा यह देखना कि कानून और प्रासंगिक मानदंडों के अनुपालन की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है;
- प्रकटन और संचार प्रक्रिया की देखरेख;
- निदेशक मंडल की मूल्यांकन संरचना की निगरानी और समीक्षा;
- बैंक को रणनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना और बैंक और शेयरधारकों के लिए जवाबदेह होना;
- कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्य निर्धारित करना जिसके अनुसार समूह के सभी कार्यपालकों को आचरण करना होगा;
- पूर्ण जानकारी के आधार पर, सद्भावना में, समुचित सावधानी और देखभाल के साथ बैंक और शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना;
- निदेशक मंडल के सदस्यों को अद्यतित जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों के नियमित प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना;
- सभी शेयरधारकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना;
- उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना और अंशधारकों के हितों का ध्यान रखना;
- कॉरपोरेट मामलों के बारे में वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय का निष्पादन करना;
- जहां हितों के टकराव की संभावना हो, वहाँ निदेशक मंडल को कार्य करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त गैर-कार्यपालक सदस्यों को नामित करने पर विचार करना;
- रणनीति, रणनीतिक पहल (जैसे कि अधिग्रहण), जोखिम क्षमता, एक्सपोज़र और बैंक के ध्यान देने योग्य मुख्य क्षेत्रों जैसी अंतर्निहित धारणाओं की चुनौती से कार्यपालक प्रबंधन की सहायता करने के लिए पीछे हटने की क्षमता.
- निदेशक मंडल की समितियों के अधिदेश, संरचना और कार्य प्रणाली को परिभाषित और प्रकट करना;
- निदेशक मंडल के एक सदस्य के रूप में और निदेशक मंडल की समिति के एक सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने के लिए सुविधा प्रदान करना; और
- विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं द्वारा समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. 31 मार्च 2021 को निदेशक मंडल की संरचना (शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल/ विशेषज्ञता सहित)

निदेशक का नाम	कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/ गैर-स्वतंत्र निदेशक	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
		अध्यक्ष		
श्री एम.आर. कुमार	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी. एससी.	एचआर, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन .
		प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी		
श्री राकेश शर्मा	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, लघु उद्योग, एचआर , व्यवसाय प्रबंधन , प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
		उप प्रबंध निदेशक		
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बीई (ऑनर्स), एमबीए	लेखाशास्त्र, बैंकिंग, व्यवसाय प्रबंधन, एचआर , जोखिम, वित्त, आईटी, मार्केटिंग, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री सुरेश खटनहार	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	एम. कॉम, सीएआईआईबी एवं आईसीडब्ल्यूए	लेखाशास्त्र, बैंकिंग, वित्त, जोखिम, कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं लघु उद्योग, व्यवसाय प्रबंधन , प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
		नामिती निदेशक		
श्री राजेश कंडवाल (एलआईसी)	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	एम. एससी (बॉटनी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंशयुरेन्स के फैलो सदस्य, इंडस्ट्रियल रिलेशन एवं पर्सनल मैनेजमेंट में डिप्लोमा तथा इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, दिल्ली द्वारा सर्टिफाइड कॉरपोरेट डायरेक्टर	लेखाशास्त्र, वित्त, एचआर , जोखिम, व्यवसाय प्रबंधन , प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
सुश्री मीरा स्वरूप (भारत सरकार)	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	स्नातकोत्तर (राजनीति विज्ञान)	लेखाशास्त्र एवं वित्त, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री अंशुमन शर्मा (भारत सरकार)	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	स्नातकोत्तर	लेखाशास्त्र एवं वित्त, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, लॉ, मार्केटिंग, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
		स्वतंत्र निदेशक		
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी. एससी. (ऑनर्स), एम. एससी . (फिजिक्स), विकास परियोजनाओं के प्रबंध एवं कार्यान्वयन (एमआईडीपी) में मास्टर्स प्रोग्राम, एवं वित्तीय प्रबंध में पीजी डिप्लोमा	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, लघु उद्योग, जोखिम, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी कॉम एवं सीएआईआईबी	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन

निदेशक का नाम	कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/ गैर-स्वतंत्र निदेशक	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
श्री समरेश परिदा	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	सनदी लेखाकार, कॉस्ट अकाउंटेंट एवं एमबीए	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, आईटी, व्यवसाय प्रबंधन, रणनीतिक आयोजना, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री एन. जंबुनाथन	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी, प्रबंधन में डिप्लोमा	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, आईटी, भुगतान एवं निपटान, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री दीपक सिंघल	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बीए, एमबीए , सीएआईआईबी, पीजीडीआरएम	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, एचआर, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री संजय जी. कल्लापुर	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी कॉम., एम. एम. एस., व्यवसाय अर्थशास्त्र में पीएचडी, एसीएमए	लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, वित्त, जोखिम, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्रीमती पी. वी. भारती	गैर-कार्यपालक	महिला स्वतंत्र	बी एससी, एमए (अर्थशास्त्र), बीएड , सीएआईआईबी, बैंकिंग एवं वित्त में एकीकृत पाठ्यक्रम (एनआईबीएम)	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, जोखिम, अर्थशास्त्र, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन

वर्तमान में बोर्ड में 14 (चौदह) निदेशकों की संख्या संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 114(ए) के अंतर्गत प्रदान की गई अपेक्षाओं को पूरा करती है.

बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग)बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

बैंक की स्वतंत्र निदेशक डॉ. आशिमा गोयल ने 08 दिसंबर 2020 से बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है, चूंकि उनके पास कई नई गतिविधियां थीं जिनके लिए उन्हें समय निकालने की आवश्यकता थी और उनके लिए आईडीबीआई बैंक के बोर्ड के साथ न्याय करने के लिए समय निकालना मुश्किल था और इस्तीफे के लिए त्याग-पत्र में उल्लेखित के अलावा कोई अन्य कारण नहीं था.

iii. निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

(i) बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक का किसी अन्य निदेशक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध नहीं है.

(ii) आरबीआई द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा के अनुसार बैंक के किसी भी निदेशक की आयु सत्तर वर्ष नहीं है.

(iii) बैंक के अध्यक्ष एक गैर-कार्यपालक निदेशक हैं और वे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित 'रिलेटिवट शब्द की परिभाषा के अनुसार बैंक के एमडी एवं सीईओ से संबंधित नहीं हैं.

iv. बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई अथवा तीन (3) निदेशक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा बशर्ते कि इनमें कम से कम एक निदेशक एलआईसी का नामिती और एक स्वतंत्र निदेशक हो.

v. बोर्ड की बैठकों की बारंबारता

बोर्ड की बैठक आम तौर पर एक वर्ष में कम से कम छह बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी तथा बोर्ड की लगातार दो बोर्ड बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए.

vi. आयोजित बैठकों की संख्या :

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021) के दौरान बोर्ड की कुल 16 बैठकें 08 अप्रैल 2020, 18 मई 2020, 30 मई 2020, 26 जून 2020, 28 जुलाई 2020, 29 अगस्त 2020, 02 सितंबर 2020, 29 सितंबर 2020, 23 अक्तूबर 2020, 29 अक्तूबर 2020, 26 नवंबर 2020, 05 दिसंबर 2020, 30 दिसंबर 2020, 28 जनवरी 2021, 12 फरवरी 2021 और 26 मार्च 2021 को संपन्न हुईं. कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बैठकें आयोजित की गईं और आपके बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा नीचे तालिका 1 में दिया गया है.

तालिका 1 : निदेशकों की बोर्ड की बैठकों और वार्षिक महा सभा में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	17 अगस्त 2020 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
		गैर-कार्यपालक अध्यक्ष			
श्री एम आर कुमार (डीआईएन-03628755)	(16/15)	उपस्थित	5	शून्य	1. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. - नामिती निदेशक एवं अध्यक्ष 2. एसीसी लि. - गैर-कार्यपालक निदेशक
		पूर्णकालिक निदेशक			
श्री राकेश शर्मा (डीआईएन-06846594)	(16/16)	उपस्थित	2	शून्य	शून्य
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन-02262530) [20.09.2019 से प्रभावी]	(16/16)	उपस्थित	3	1	शून्य
श्री सुरेश खटनहार (डीआईएन-03022106)	(16/16)	उपस्थित	1	शून्य	शून्य
		गैर-कार्यपालक निदेशक			
श्री राजेश कंडवाल (डीआईएन- 02509203)	(16/16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री सुधीर श्याम (डीआईएन-08135013) [08.06.2020 तक)	(03/03)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएन- 07459492)	(16/14)	उपस्थित	2	शून्य	शून्य
श्री अंशुमन शर्मा (डीआईएन-07555065) [11.06.2020 से प्रभावी]	(13/09)	अनुपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	17 अगस्त 2020 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
		स्वतंत्र निदेशक			
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन - 00603925)	(16/16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. आशिमा गोयल (डीआईएन - 00233635) [08.12.2020 तक)	(12/12)	उपस्थित	1	शून्य	1. एडल्वेसिस फाइनेंशियल सर्विसेस लि. - निदेशक
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन - 06713850)	(16/16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री समरेश परिदा (डीआईएन - 01853823)	(16/16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन - 05126421)	(16/14)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दीपक सिंघल (डीआईएन - 08375146)	(16/16)	उपस्थित	1	शून्य	शून्य
श्री संजय जी कल्लापुर (डीआईएन - 08377808)	(16/16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती पी.वी. भारती (डीआईएन - 06519925) [14.01.2021 से प्रभावी]	(03/03)	लागू नहीं	1	1	शून्य

बैंक के किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास बैंक द्वारा जारी शेयर या संपरिवर्तनीय लिखत धारित नहीं है.

बोर्ड की समितियां

बोर्ड की कुल 13 समितियां हैं, यथा -

- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- अंशधारक संबंध समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- वसूली समीक्षा समिति
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति
- कार्यपालक समिति
- धोखाधड़ी निगरानी समिति
- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
- मानव संसाधन संचालन समिति
- असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति

ए. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

i. विचारार्थ विषय

- संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण सहायता, अर्थात् (क) पूंजी बाजार, और (ख) रियल इस्टेट की समीक्षा
- अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारक (केवाईसी / एएमएल) दिशा-निर्देश -
  - i. कार्यान्वयन की समीक्षा;
  - ii. शाखाओं में केवाईसी/ एएमएल दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुपालन की समीक्षा;

- हाउस कीपिंग की समीक्षा - विशेषकर लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों उचंत/ विविध/ देय अथवा प्रदत्त ड्राफ्ट/ मार्गस्थ निधियाँ/ समाशोधन/ सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल)/ संघटक सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) खातों का संतुलन और समाधान;
- रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के संबंध में अनुपालन की समीक्षा. (जब तक बैंक पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता, एसीबी को निरंतर आधार पर इसकी समीक्षा करनी चाहिए. एसीबी को रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में दर्शायी गयी कमियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए);
- लेखा-परीक्षा योजना और इसकी उपलब्धियों की स्थिति की समीक्षा;
- महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों/निम्नलिखित लेखा-परीक्षाओं में पायी गयी आंतरिक नियंत्रण कमियों की उसके अनुपालन सहित समीक्षा- (i) लांग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) (ii) संगामी लेखा-परीक्षा (iii) आंतरिक निरीक्षण (iv) डाटा सेंटर और अन्य विभागों की सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा (v) ट्रेज़री और डेरिवेटिव (vi) नियंत्रक कार्यालयों/ प्रधान कार्यालय में प्रबंधन लेखा-परीक्षा (vii) सेवा शाखाओं की लेखा-परीक्षा (viii) करेंसी चेस्ट (ix) विदेशी मुद्रा विनिमय में संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं की विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) लेखा-परीक्षा आदि;
- एसीबी/ बोर्ड/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट;
- समुद्रपारीय शाखाओं के संबंध में मेजबान देशों में विनियामकों की विनियामकीय अपेक्षाओं पर अनुपालन रिपोर्ट;
- प्रबंधन चर्चा, वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण की कमियों के बारे में जारी पत्रों/प्रबंधन पत्रों सहित तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा;
- विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघन संबंधी जानकारी की समीक्षा;
- उधारकर्ता कंपनियों में उनकी प्रदत्त पूंजी के 30% से अधिक की इक्विटी शेयर धारिता के संबंध में जानकारी;
- मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के दौरान रिपोर्ट किए गए सभी धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा;
- संबद्ध पक्षों के साथ लेन-देनों और संबंधित पक्ष लेनदेन तथा संबद्ध पक्ष लेनदेन में अनुवर्ती संशोधन, कोई हो के लिए पूर्वानुमोदन की समीक्षा,
- (क) जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा नीति, (ख) संगामी लेखा-परीक्षा नीति और (ग) आईएस लेखा-परीक्षा नीति की समीक्षा;
- बैंक के लेखों में अधिक पारदर्शिता लाने और लेखांकन मानकों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक की लेखांकन नीतियों/ प्रणालियों की समीक्षा; वर्ष के दौरान किसी भी परिवर्तन और उसके परिणाम की समीक्षा. इस आशय की पुष्टि कि लेखांकन नीतियां, मानकों और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं;
- आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखा-परीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा;
- बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा;
- बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्य निष्पादन, देशी और समुद्रपारीय परिचालनों दोनों के लिए लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा;
- निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुति से पूर्व एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग सी के बिन्दु ए (4) में दर्शाई गयी (क) से (छ) की मदों के विशेष संदर्भ में वार्षिक लेखों/ वित्तीय विवरणों और इन पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दी गई अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए लेखा-परीक्षकों को किए जाने वाले भुगतान का अनुमोदन करना;
- लेखा-परीक्षा शुरू होने से पूर्व उसके स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा साथ ही चिंताजनक विषयों का पता लगाने के लिए लेखा-परीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श;
- विभिन्न कानूनों और संविधियों के तहत बैंक पर लगाए गए दंडों/ दंडात्मक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों के लिए की गयी कार्रवाई;
- आंतरिक/ बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा पता लगाई गई राजस्व हानि की रिपोर्ट और इसकी वसूली की स्थिति की समीक्षा- कमतर राजस्व के कारण और राजस्व हानियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई;
- ऑफर दस्तावेज़ों और निधियों के सार्वजनिक निर्गम (सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित) के ज़रिये जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग पर रिपोर्ट और साथ ही साथ, (i) विनियमावली 32(1) के अनुसार निगरानी एजेंसी रिपोर्ट सहित विचलन(नों) के तिमाही

विवरण और (ii) एलओडीआर विनियमावली के विनियम 32(7) के अनुसार ऑफर दस्तावेज़ में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य के लिये उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण;

- जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में वास्तविक चूक के कारणों की समीक्षा;
- असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए विशेष निवेशों सहित वित्तीय विवरणियों की समीक्षा;
- पहली बार हुए एनपीए (एफ़टीएनपीए) की समीक्षा;
- ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक के नकारे गए चेक;
- संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की वार्षिक समीक्षा;
- वार्षिक लेखा-परीक्षा योजना का अनुमोदन;
- आउटसोर्स वेंडरों की लेखा-परीक्षा की वार्षिक समीक्षा;
- सतर्कता तंत्र की कार्य प्रणाली (पूर्व में विसिल ब्लोअर तंत्र) की समीक्षा;
- (i) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (ii) मुख्य आंतरिक लेखा-परीक्षक और (iii) मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन;
- सूचीबद्ध संस्थाओं के उपक्रमों और आस्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं भी आवश्यक हो;
- बैंक के लेखों को प्रभावित करने वाले रिज़र्व बैंक के परिपत्र;
- अनुपालन स्थिति सहित पिछली बैठकों में एसीबी/ एसीबी अध्यक्ष द्वारा दिये गए विशेष निदेश;
- अंगीकार करने के उद्देश्य से वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) को रिपोर्ट किए गए एनपीए/वसूली संबंधित मामले;
- सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा;
- होल्डिंग कंपनी द्वारा सहायक संस्था में ₹ 100 करोड़ से अधिक या सहायक संस्था के आस्ति भाग के 10%, से मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित जो भी कम हो, के निवेश की ऋण और/या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा,
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एसीबी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को एसीबी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से चार सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात श्री समरेश परिदा, अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी.वी. भारती, अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी).

श्री सुरेश खटनहार, उप प्रबंध निदेशक, सुश्री मीरा स्वरूप एवं श्री अंशुमन शर्मा, भारत सरकार के नामित निदेशक एसीबी बैठकों के स्थाई विशेष आमंत्रिती हैं.

iii. एसीबी बैठकों के लिए कोरम एवं बारंबारता

एसीबी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, इनमें कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे.

iv. एसीबी बैठकों की बारंबारता

एसीबी की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी और एसीबी की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

v. एसीबी की बैठकें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान एसीबी की 14 बैठकें 16 अप्रैल 2020, 18 मई 2020, 30 मई 2020, 25 जून 2020, 28 जुलाई 2020, 28 अगस्त 2020, 28 सितंबर 2020, 23 अक्तूबर 2020, 28 अक्तूबर 2020, 25 नवंबर 2020, 29 दिसंबर 2020, 28 जनवरी 2021, 11 फरवरी 2021 और 25 मार्च 2021 को संपन्न हुईं.

बी. कार्यपालक समिति (ईसी)

i. विचारार्थ विषय

- 250 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले उच्च मूल्य ऋण प्रस्तावों की मंजूरी;
- कार्यपालक समिति द्वारा मंजूरी संबंधी बनाए गए निबंधनों और शर्तों में संशोधन;
- ऋण समितियों के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग;
- समझौता / एकबारीय निपटान (ओटीएस) हेतु प्रस्तावों की मंजूरी;
- निम्नलिखित को ₹ 25 लाख से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी:
  - अन्य बैंकों के निदेशक (अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सहित);
  - कोई फर्म जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों; और
  - कोई कंपनी जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों;
- निम्नलिखित को ₹ 25 लाख से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी :
  - बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों या अन्य बैंकों के निदेशकों के कोई संबंधी,
  - अन्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के कोई संबंधी,
  - कोई फर्म जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों, और
  - कोई कंपनी जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों,
- प्रतिभूतिकरण पोर्टफोलियो की मंजूरियों की रिपोर्टिंग;
- कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित मामलों के संबंध में प्रतिभूति सृजन की स्थिति की समीक्षा और रिपोर्टिंग;
- देय और प्राप्य राशियों के निवेश लिखत(तों) में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव;
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. ईसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को ईसी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं. समिति के अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ हैं तथा सदस्य श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक और श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक.

iii. ईसी बैठकों के लिए कोरम

ईसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा ईसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. ईसी बैठकों की बारंबारता

ईसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठकों के साथ आवश्यकताओं के अनुसार होगी.

v. *ईसी की बैठकें*

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कार्यपालक समिति की कुल 25 बैठकें हुईं जो 16 अप्रैल 2020, 29 अप्रैल 2020, 16 मई 2020, 29 मई 2020, 15 जून 2020, 25 जून 20020, 15 जुलाई 2020, 27 जुलाई 2020, 12 अगस्त 2020, 28 अगस्त 2020, 14 सितंबर 2020, 28 सितंबर 2020, 16 अक्तूबर 2020, 28 अक्तूबर 2020, 11 नवंबर 2020, 25 नवंबर 2020, 14 दिसंबर 2020, 29 दिसंबर 2020, 13 जनवरी 2021, 29 जनवरी 2021, 11 फरवरी 2021, 25 फरवरी 2021, 15 मार्च 2021, 25 मार्च 2021 और 30 मार्च 2021 को संपन्न हुईं.

सी हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

i. *विचारार्थ विषय*

हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 तथा एलओडीआर विनियमावली के विनियम 20 तथा अनुसूची II के भाग डी के अंतर्गत उपबंधित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है.

एसआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :

- शेयरों के अंतरण/हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए /डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, महा सभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित शेयरधारकों, बांडधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान;
- उपर्युक्त में दिए गए अधिदेश को पूरा करने के लिए एसआरसी अपनी प्रत्येक बैठक में इक्विटी सर्विसिंग और बांड सर्विसिंग रिपोर्टों पर विचार तथा उनकी समीक्षा करेगी और जरूरी होने पर इस संबंध में निदेश जारी करेगी;
  - इक्विटी सर्विसिंग संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा;
  - फ्लेक्सीबॉण्डों की सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट;
  - शेयर पूँजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समाधान की रिपोर्टिंग;
  - स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निवेशकों की शिकायतों के विवरणों की रिपोर्टिंग;
  - शेयरधारकों द्वारा वोटिंग अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपाय की समीक्षा;
  - रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा दी गई विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा;
  - अदावी लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश वारंट /वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समयबद्ध प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपाय और पहल कार्यों की समीक्षा;
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. *एसआरसी की संरचना*

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को एसआरसी में चार सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं. समिति के अध्यक्ष श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक हैं और अन्य सदस्य हैं - श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी और श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक.

श्री पवन अग्रवाल, बैंक के कंपनी सचिव ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य किया.

iii. *एसआरसी बैठक के लिए कोरम*

एसआरसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा एसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. एसआरसी बैठकों की बारंबारता

एसआरसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. एसआरसी की बैठकें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान एसआरसी की चार बैठकें दिनांक 29 मई 2020, 29 अगस्त 2020, 26 नवंबर 2020 और 12 फरवरी 2021 को संपन्न हुईं.

vi. i. अनुरोध/ शिकायतों की संख्या (इक्विटी और बांड)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त शेयरधारकों/ बान्डधारकों की शिकायतों की संख्या	**5,819**
जिन शिकायतों का समाधान शेयरधारकों/ बान्डधारकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया गया उनकी संख्या	**शून्य**
लंबित शिकायतों की संख्या	**280**

डी. धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)

i. विचारार्थ विषय

₹ 1 करोड़ तथा इससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी तथा उनका अनुवर्तन करने के लिए एक विशेष समिति के रूप में धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) का गठन किया गया है. इसका गठन धोखाधड़ी का पता लगाने, उन पर निगरानी रखने और उनसे निपटने के लिए किया गया है.

एफएमसी की व्यापक भूमिका एवं उसके उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- प्रणालीगत कमी, यदि कोई है, जिससे धोखाधड़ी संभव हुई हो, की पहचान करना तथा उसे रोकने के लिए उपाय सुझाना;
- धोखाधड़ी, यदि कोई है, का पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान करना तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन और रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना;
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)/पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी करना;
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही की जांच हो तथा बिना समय गँवाए तत्काल कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, पूरी हो;
- धोखाधड़ी की पुनर्रावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता, जैसे आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना, की समीक्षा करना;
- रेड फ्लैग खातों तथा बकाया रेड फ्लैग खातों के बारे में की गई उपचारात्मक कार्रवाई/दिए गए जांच आदेश की स्थिति की समीक्षा करना;
- धोखाधड़ी के मामलों में स्टाफ जवाबदेही प्रक्रिया के पूरा होने और उस पर की गई कार्रवाई को नोट करना;
- सीबीआई, पुलिस आदि द्वारा जांच किए जा रहे मामलों से वसूली सहित धोखाधड़ी मामलों में वसूली की स्थिति;
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एफएमसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को एफएमसी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं. समिति के अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ हैं तथा सदस्य श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी वी भारती अपर निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी) हैं.

iii. एफएमसी बैठकों के लिए कोरम

एफएमसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा एसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. एफएमसी बैठकों की बारंबारता

₹ 1 करोड़ और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामले जब कभी भी प्रकाश में आने पर धोखाधड़ी निगरानी समिति की बैठक आयोजित करना अपेक्षित होता है और उसमें मामले की समीक्षा की जाती है.

v. एफएमसी की बैठकें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान एफएमसी की पांच बैठकें दिनांक 24 जून 2020; 29 अगस्त 2020; 29 अक्तूबर 2020; 30 दिसंबर 2020; और 25 मार्च 2021 को संपन्न हुईं.

ई. जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करने, उनमें कमी लाने का प्रयास करने, आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का भी समाधान करने और साथ ही बैंक की जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है.

आरएमसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैः

- चलनिधि जोखिम सहित बैंक के समक्ष आने वाले सभी जोखिमों का मूल्यांकन करना;
- अन्य जोखिमों के साथ चलनिधि जोखिम के संभाव्य प्रभाव को आरएमसी द्वारा निवारण किए जा रहे जोखिमों में भी शामिल किया जाए;
- नकदी प्रवाह के अनुमानों की रिपोर्टिंग, और चलनिधि जोखिम, प्रयुक्त धारणाओं का मापन;
- बोर्ड को नीतियों यथा ऋण नीति, वसूली नीति, निधि प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता नीति, परिचालनगत जोखिम तथा कारोबार निरंतरता प्रबंधन (ओआर एवं बीसीएम) नीति, डीआईएफसी शाखा एएलएम नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, बाजार जोखिम तथा डेरिवेटिव नीति, देशी जोखिम प्रबंधन नीति एवं देशी जोखिम सीमाएं, निवेश नीति आदि की सिफ़ारिश करना;
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली/ एएलएम एवं जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा;
- परिचालनगत जोखिम एवं कारोबार निरंतरता प्रबंधन पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा;
- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा;
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बाजार जोखिम रिपोर्ट की समीक्षा;
- दबाव परीक्षण के परिणामों की समीक्षा;
- जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा;
- आंतरिक रेटिंग के मायग्रेशन और चूक का विश्लेषण;
- आस्ति देयता प्रबंधन समीक्षा;
- बासेल III कार्यान्वयन तथा जोखिम प्रबंधन विभाग के अन्य कार्यकलापों की समीक्षा;
- संपार्श्विक प्रबंधन तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) तकनीक पर नीति;
- प्रणाली, उत्पाद अनुमोदन एवं समीक्षा समिति (स्पार्क) I एवं II के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग;
- बासेल II तथा III के लिए तैयारी की स्थिति की समीक्षा;
- प्रतिपक्षकार बैंक सीमाओं एवं घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के लिए सीमाओं के आबंटन पर नीति;
- ऋण एक्सपोजर - मानदंडों की समीक्षा तथा उनका अनुपालन;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन को प्राप्त करने के उद्देश्य से नामांकन और पारिश्रमिक समिति के साथ समन्वय में कार्य करना;
- बैंक में साइबर सुरक्षा कार्य की निगरानी; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. आरएमसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को आरएमसी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री अंशुमन शर्मा, सरकार के नामिती निदेशक, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, समिति की अध्यक्ष के रूप में अपर निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी).

iii. आरएमसी बैठकों के लिए कोरम

आरएमसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा आरएमसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. आरएमसी बैठकों की बारंबारता

आरएमसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. आरएमसी की बैठकें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान आरएमसी की छह बैठकें दिनांक 16 मई 2020; 15 जून 2020; 12 अगस्त 2020; 28 अगस्त 2020; 11 नवंबर 2020 और 25 फरवरी 2021 को संपन्न हुईं.

एफ. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी)

i. विचारार्थ विषयं

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति तैयार कर बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिये गए क्षेत्रों और विषयों के अनुसार बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी दी गई हो;
- उपर्युक्त खंड में दिए गए कार्यकलापों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;
- बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की समय-समय पर की निगरानी करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. सीएसआरसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को सीएसआरसी में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, अपर निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी).

iii. सीएसआरसी बैठकों के लिए कोरम

सीएसआरसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा सीएसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. सीएसआरसी बैठकों की बारंबारता

सीएसआरसी की बैठकें छमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. सीएसआरसी की बैठकें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान सीएसआरसी की दो बैठकें दिनांक 18 मई 2020 और 26 नवंबर 2020 को संपन्न हुईं.

जी. ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

i. विचारार्थ विषय

बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक संरक्षण तथा सेवाओं के लिए अभिशासन संरचना को मजबूत बनाने और साथ ही बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियां बनाने और उनके आंतरिक अनुपालन का आकलन करने के लिए ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) का गठन किया गया है.

सीएससी की व्यापक भूमिका तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहक की शिकायतों पर ध्यान देना तथा ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करना;
- व्यापक जमा नीति तैयार करना;
- जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उनके खाते के परिचालन जैसे मुद्दों का समाधान;
- उपयुक्तता तथा सटीकता के उद्देश्य से उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया;
- जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण;
- ऐसी सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा;
- विभिन्न राज्यों के बैंकिंग लोकपाल द्वारा समाधान की जा चुकी शिकायतों के संबंध में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाना;
- बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए सभी निर्णयों पर ध्यान देना;
- तीन माह से अधिक समय तक कार्यान्वित नहीं किए गए सभी निर्णयों की कारणों सहित समीक्षा करना;
- बैंक में ग्राहक सुरक्षा एवं सेवा के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;
- भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) संहिता अनुपालन रेटिंग;
- शिकायत निवारण नीति का संशोधन;
- प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य मुद्दों की जांच करना.
- आंतरिक लोकपाल की गतिविधियों की समीक्षा; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. सीएससी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को सीएससी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, सुश्री मीरा स्वरूप, सरकार की नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक.

iii. सीएससी बैठकों के लिए कोरम

सीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा सीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. सीएससी बैठकों की बारंबारता

सीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. सीएससी की बैठकें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान सीएससी की चार बैठकें दिनांक 24 जून 2020, 29 सितंबर 2020, 30 दिसंबर 2020 और 25 मार्च 2021 को संपन्न हुईं.

एच. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)

i. विचारार्थ विषयं

बैंक में प्रभावी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया गया है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न आईटी समर्थकारी सेवाएं प्रदान करना, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में मदद करना तथा नए आईटी उत्पाद लांच करने में सहायता देना और तत्संबंधी सेवाएं प्रदान करना और साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना और साइबर सुरक्षा नीतियों की निगरानी करना है.

आईटीएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- बोर्ड को प्रस्तावित आईटी बजट की संस्तुति;
- आईटी बजट के उपयोग की समीक्षा;
- बैंक के ग्राहकों के लिए विभिन्न उत्पादों तथा आईटी आधारित सेवाओं के प्रारंभ की समीक्षा
- आंतरिक अथवा बाहर से खरीदे गए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के विकास, अधिप्राप्ति और परिचालनों की समीक्षा करना और प्रौद्योगिकी के चयन के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने अथवा अन्य क्रियाविधि के लिए प्रक्रियाएँ तैयार करना;
- सिस्टम और प्रक्रियाओं के निष्पादन, कार्यान्वयन और परिचालन की देखरेख करना.
- प्रौद्योगिकी के जरिए शाखाओं के एकीकरण और बैंक के लिए एमआईएस के विकास का निरीक्षण करना;
- प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर की अद्यतन स्थिति और की गईं प्रमुख आईटी पहलों की समीक्षा करना;
- सूचना सुरक्षा संबंधी घटनाओं की समीक्षा;
- डिजिटल बैंकिंग और अभिनव भुगतान प्रणालियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा;
- सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा;
- आईटी नीति की समीक्षा;
- साइबर सुरक्षा संबंधी तैयारी का मूल्यांकन;
- साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी;
- साइबर सुरक्षा नीतियों की निगरानी; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. आईटीएससी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को आईटीएससी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक, श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री अंशुमन शर्मा, सरकार के नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम

आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा आईटीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. आईटीएससी बैठकों की बारंबारता

आईटीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी तथा किन्हीं दो बैठकों के मध्य चार माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

v. आईटीएससी की बैठकें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान आईटीएससी की सात बैठकें दिनांक 08 अप्रैल 2020, 29 अप्रैल 2020, 12 अगस्त 2020, 27 अगस्त 2020 11 नवंबर, 2020, 11 फरवरी 2021 और 15 मार्च 2021 एवं 17 मार्च 2021 (स्थगित बैठक) को संपन्न हुईं.

आई. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

i. विचारार्थ विषय

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- निदेशक के लिए अर्हताओं, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों व अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;

- बोर्ड, उसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए, या तो बोर्ड द्वारा, एनआरसी द्वारा, स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा निष्पादन की रीति को निर्दिष्ट करना और उनके कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा करना.
- स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
- निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने हेतु अर्हता प्राप्त हैं तथा जो वरिष्ठ प्रबंधन में मानदंडों के अनुरुप नियुक्ति की पात्रता रखते हों तथा निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति एवं हटाने की सिफारिश करना;
- अर्हता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा, 'उपयुक्त और उचितट मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता (यदि लागू हो) तथा स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/नियुक्ति को जारी रखने की योग्यता को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया पर कार्य करना तथा उससे संबंधित मानदंड को तैयार करना
- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, आदि के लिए पारिश्रमिक नीति बनाना;
- बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को भुगतान किए जाने वाले सभी पारिश्रमिकों, चाहे वे किसी भी रूप में हों, की सिफारिश करना;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन प्राप्त करने के संबंध में जोखिम प्रबंधन समिति के साथ समन्वय कार्य; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एनआरसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को एनआरसी में छह सदस्य शामिल थे, सभी सदस्य गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, जिसमें तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, अर्थात श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक, सुश्री मीरा स्वरूप, सरकार की नामिती निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक और श्री अंशुमन शर्मा, सरकार के नामिती निदेशक.

iii. एनआरसी बैठकों के लिए कोरम

एनआरसी बैठकों के लिए कोरम एनआरसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा एनआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

iv. एनआरसी बैठकों की बारंबारता

वर्ष में कम से कम एक बार एनआरसी की बैठक आयोजित की जाएगी.

v. एनआरसी की बैठकें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान एनआरसी की चार बैठकें दिनांक 16 मई 2020, 29 मई 2020, 28 सितंबर 2020 और 13 जनवरी 2021 को संपन्न हुईं.

vi. स्वतंत्र निदेशकों के लिए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन मानदंड

स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन एक तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर किया जाता है जिसमें बोर्ड में उपस्थिति, बैठक के दौरान भागीदारी, निदेशकों के योगदान का स्तर, ज्ञान की गुणवत्ता और विषय की समझ, पारदर्शिता का स्तर आदि कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंड शामिल हैं. इसकी प्रश्नावली पहले ही निदेशकों को विचार करने और मूल्यांकन के बारे में अपनी राय बनाने के लिए परिचालित कर दी जाती है. स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन जिस निदेशक का मूल्यांकन किया जा रहा है, उन्हें छोड़कर पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है. मूल्यांकन में उपर्युक्त मानदंडों पर निदेशकों का कार्य-निष्पादन और स्वतंत्र मानदंडों को पूरा करना शामिल है. इसके अलावा मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है.

जे. मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी)

i. *विचारार्थ विषय*

मानव संसाधन संबधी मामलों को देखने और मानव संसाधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु एचआरएससी का गठन किया गया है.

एचआरएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- भर्ती, प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां बनाना;
- कार्य-निष्पादन प्रबंधन, क्षतिपूर्ति और कैरियर विकास पहलों की समीक्षा;
- प्रबंधन नियोजन एवं विकास और उत्तराधिकार नियोजन पर विचार करना;
- एचआर रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना;
- कार्मिक की नियुक्ति, मानवशक्ति मूल्यांकन, पदोन्नति आदि सहित विभिन्न एचआर मामलों पर विचार और अनुमोदन प्रदान करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. *एचआरएससी की संरचना*

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को एचआरएससी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, सुश्री मीरा स्वरूप, सरकार की नामिती निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक.

iii. *एचआरएससी समिति की बैठकों के लिए कोरम*

एचआरएससी बैठकों के लिए कोरम एचआरएससी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा एचआरएससी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. *एचआरएससी बैठकों की बारंबारता*

एचआरएससी की बैठक आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाएगी.

v. *एचआरएससी की बैठकें*

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान एचआरएससी की आठ बैठकें दिनांक 08 अप्रैल 2020; 16 मई 2020; 25 जून 2020; 28 अगस्त 2020; 29 सितंबर 2020; 25 नवंबर 2020; 29 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 को संपन्न हुईं.

के. वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)

i. *विचारार्थ विषय*

भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एनपीए, दबावग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों, सरकारी परिसमापक (ओएल) मामलों, ऋण वसूली प्राधिकरण (डीआरटी) मामलों आदि से वसूली की समीक्षा करने के लिए और वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने तथा अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए आरआरसी का गठन किया गया है.

आरआरसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- अनर्जक आस्तियों (एनपीए)/ बट्टे खाते डाले गए खातों के वसूली कार्यनिष्पादन की समीक्षा;
- दबावग्रस्त संरचित रिटेल आस्तियों (एसआरए) और शीघ्र अनर्जक होने वाली आस्तियों वाले मामलों की समीक्षा;
- बैंक की शीर्ष 100 अनर्जक आस्तियों की समीक्षा;
- कॉरपोरेट वर्टिकलों के दबावग्रस्त खातों की समीक्षा;

- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के संबंध में स्थिति रिपोर्ट;
- विशेष उल्लेखवाले खातों (एसएमए) की समीक्षा;
- वाद दायर किए गए मामलों की समीक्षा;
- प्रथम बारीय एनपीए (एफटीएनपीए)/ इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा;
- अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की तिमाही समीक्षा; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. आरआरसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को आरआरसी में सात सदस्य शामिल थे, जिसमें से दो स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, सुश्री मीरा स्वरूप, सरकार की नामिती निदेशक, श्री अंशुमन शर्मा, सरकार के नामिती निदेशक, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, अपर निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी).

iii. आरआरसी बैठकों के लिए कोरम

आरआरसी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा आरआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. आरआरसी बैठकों की बारंबारता

आरआरसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठकों के साथ आवश्यकताओं के अनुसार होगी.

v. आरआरसी की बैठकें

31 मार्च 2021 तक आरआरसी की 4 बैठकें दिनांक 24 जून 2020; 14 सितंबर 2020; 14 दिसंबर 2020 और 15 मार्च 2021 को संपन्न हुईं.

एल. असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी)

i. विचारार्थ विषय

असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी) की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- ऋणकर्ता को असहयोगी ऋणकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित आंतरिक असहयोगी ऋणकर्ता समिति के आदेशों/निर्णयों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एनसीबीआरसी की संरचना

असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी) का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया.

31 मार्च 2021 को एनसीबीआरसी में अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ तथा सदस्यों के रूप में श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी और श्री दीपक सिंघल स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

iii. एनसीबीआरसी की बैठकों के लिए कोरम

एनसीबीआरसी बैठकों के लिए कोरम सभी सदस्यों की उपस्थिति होगा.

iv. एनसीबीआरसी बैठकों की बारंबारता

बैंक की आंतरिक असहयोगी उधारकर्ता समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को 'असहयोगी उधारकर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो एनसीबीआरसी को बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होगा.

v. एनसीबीआरसी की बैठकें

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 तक एनसीबीआरसी की दो बैठकें दिनांक 26 जून 2020 और 15 मार्च 2021 को संपन्न हुई.

एम. इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डबल्यूडीआरसी)

i. *विचारार्थ विषय*

इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डबल्यूडीआरसी) की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- ऋणकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में आंतरिक इरादतन चूककर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. *डब्ल्यूडीआरसी की संरचना*

इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी) का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया.

31 मार्च 2021 को इस समिति में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, अध्यक्ष के रूप में और श्री एन. जंबुनाथन और श्री भुवनचंद्र बी जोशी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य के रूप में शामिल थे.

iii. *डब्ल्यूडीआरसी की बैठकों के लिए कोरम*

डब्ल्यूडीआरसी बैठकों के लिए कोरम सभी सदस्यों की उपस्थिति होगा.

iv. *डब्ल्यूडीआरसी बैठकों की बारंबारता*

बैंक की इरादतन चूककर्ता संबंधी आंतरिक समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को 'इरादतन चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो डब्ल्यूडीआरसी के लिए बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होता है.

v. *डब्ल्यूडीआरसी की बैठकें*

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को डब्ल्यूडीआरसी की छह बैठकें दिनांक 18 मई 2020; 26 जून 2020; 09 जुलाई 2020; 27 अगस्त 2020; 29 जनवरी 2021 और 20 फरवरी 2021 को संपन्न हुई.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक की इस समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण तालिका 2 में दिया गया है.

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक (आईडीएम)

i. *विचारार्थ विषय*

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV, एलओडीआर विनियमावली के विनियम 25 के निबंधनों के अनुसार और भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिव मानक-1 के प्रावधानों का स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अनुपालन किया जाता है.

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक की भूमिका:

- गैर-स्वतंत्र निदेशकों की और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
- कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए बैंक के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
- बैंक के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन करना जो बोर्ड के कर्तव्यों के प्रभावी और तर्कसंगत कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक है; और
- जहां कहीं भी लागू हों सेबी विनियमों के तहत अनुपालन करना.

ii. *स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों की संरचना*

31 मार्च 2021 को स्वतंत्र निदेशकों की समिति में सात सदस्य अर्थात् श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, श्री भुवनचंद्र बी जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय जी. कल्लापुर और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

स्वतंत्र निदेशक प्रत्येक बैठक में अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं.

iii. *स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों के लिए कोरम*

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार सभी स्वतंत्र निदेशक आईडीसी की बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे.

iv. स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों की बारंबारता

स्वतंत्र निदेशकों बैठकें वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित होंगी.

v. स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

यथा 31 मार्च 2021 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की तीन बैठकें दिनांक 29 अप्रैल 2020 तथा 15 मई 2020 (स्थगित बैठक); 06 जुलाई 2020 और 12 फरवरी 2021 को संपन्न हुईं.

बोर्ड की क्यूआईपी समिति (क्यूआईपी समिति)

बैंक के निदेशक मंडल ने 29 अक्तूबर 2020 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के प्रयोजन हेतु 'क्यूआईपी समिति' नाम से बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया. इस समिति का गठन केवल क्यूआईपी प्रक्रिया के निर्बाध संचालन के लिए किया गया.

उक्त क्यूआईपी समिति में श्री सैम्युअल जोसेफ, डीएमडी, श्री अंशुमन शर्मा, सरकारी नामिती निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री समरेश परिदा, एसीबी के अध्यक्ष और श्री बी. बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे. उक्त बैठकों में भाग लेने के लिए सदस्यों को बैठक शुल्क का भुगतान किया गया.

क्यूआईपी समिति की पाँच बैठकें दिनांक 15 दिसंबर 2020 (2 बैठकें); 18 दिसंबर 2020 (2 बैठकें) और 19 दिसंबर 2020 को संपन्न हुईं. समिति के सभी सदस्यों ने सम्पन्न सभी बैठकों में हिस्सा लिया.

तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

क्र. सं.	निदेशक का नाम	एसीबी		ईसी		एसआरसी		एफएमसी		आरएमसी		सीएसआरसी		सीएससी		आईटीएससी		एनआरसी		एचआर एससी		आआरसी		एनसीबी आरसी		डब्ल्यू डीआरसी	
		आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ
1.	श्री एम. आर. कुमार (डीआईएन: 03628755)																										
2.	श्री राकेश शर्मा (डीआईएन: 06846594)			25	25			05	05	06	06	02	02	04	04	07	07			08	08	04	04	02	02	06	06
3.	सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन: 02262530)	14	14	25	25	04	04	05	05	06	06	02	02	04	04	07	07			08	08	04	04				
4.	श्री सुरेश खटनहार (डीआईएन: 03022106)			25	24	04	04	05	05	06	06	02	02	04	04	07	07			08	08	04	04				
5.	श्री राजेश कंडवाल* (डीआईएन: 02509203)	12	12															04	04	08	08						
6.	श्री सुधीर श्याम (डीआईएन: 08135013) [08.06.2020 तक]									01	01	01	01			02	02										
7.	सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएन: 07459492)													04	02			04	04	08	05	04	02				
8.	श्री अंशुमन शर्मा (डीआईएन: 07555065)									04	03					05	03	02	01			03	01				
9.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन: 00603925)	14	14					05	05					04	04	07	07	04	04	05	05						
10.	डॉ. आशिमा गोयल (डीआईएन: 00233635) [08.12.2020 तक]	10	10			03	03					02	02									02	02				
11.	श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन: 06713850)			25	24					06	06							04	03					02	02	06	06
12.	श्री समरेश परिदा (डीआईएन: 01858823)	14	14									01	01			07	07			03	03	04	04				
13.	श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन: 05126421)			25	21	04	03									07	06	04	04							06	06
14.	श्री दीपक सिंघल (डीआईएन: 08375146)			25	25			05	05											08	08			02	02		
15.	श्री संजय जी. कल्लापुर (डीआईएन: 08377808)	14	14			01	01	04	04	06	06			04	04												
16.	श्रीमती पी. वी. भारती (डीआईएन: 06519925) [14.01.2021 से]	02	02					01	01	01	01	00	00									01	01				

** श्री राजेश कंडवाल 29 दिसंबर 2020 और 28 जनवरी 2021 को आयोजित 2 एसीबी बैठकों के लिए स्थाई विशेष आमंत्रित थे. वे एसीबी की सभी शेष बैठकों के लिए सदस्य के रूप में थे.*

31 मार्च 2021 को निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता के निर्धारण की मैट्रिक्स और ऐसे कौशल रखने वाले निदेशकों के नाम नीचे तालिका में दिए गए हैं;

	लेखा शास्त्र	कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था	बैंकिंग	सहयोग	अर्थ शास्त्र	वित्त	विधि	लघु उद्योग	मानव संसाधन	जोखिम	सूचना प्रौद्योगिकी	भुगतान और निपटान	व्यापार प्रबंधन	प्रशासन	कॉरपोरेट अभिशासन
श्री एम. आर. कुमार									√					√	√
श्री राकेश शर्मा	√	√	√		√			√	√				√	√	√
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	√		√			√			√	√	√		√	√	√
श्री सुरेश खटनहार	√	√	√			√		√		√			√	√	√
सुश्री मीरा स्वरूप	√				√									√	√
श्री अंशुमन शर्मा	√		√		√	√	√							√	√
श्री राजेश कंडवाल	√					√			√	√			√	√	√
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी		√				√		√	√	√				√	√
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी		√	√			√		√						√	√
श्री समरेश परिदा	√	√				√					√		√	√	√
श्री एन. जंबुनाथन		√	√					√			√	√		√	√
श्री दीपक सिंघल		√	√						√				√	√	√
श्री संजय जी. कल्लापुर	√				√	√				√				√	√
श्रीमती पी. वी. भारती		√	√		√			√		√				√	√

वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(क) और धारा 92(3) के अनुसरण में बैंक की वार्षिक विवरणी बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp पर रखी जाती है.

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर प्रकथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. के स्वतंत्र निदेशकगण श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय कल्लापुर और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक ने 1 अप्रैल 2021 को यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में और विनियम 16 के उप-विनियम (1) के खंड (बी), एलओडीआर विनियम के उप-विनियम 17(10) तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 10ए में उल्लिखित स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और वे किसी भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो मौजूद है या यथोचित रूप से प्रत्याशित है, जो वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय के साथ और किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना उनके कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता को ह्रासित करते हैं या प्रभावित कर सकते हैं. वार्षिक प्रकटीकरण के साथ श्री एन. जंबुनाथन [जिनके लिए 12 मार्च 2021 को स्वतंत्र निदेशक डाटाबैंक को एक अभ्यावेदन दिया गया है, जिसके बाद डाटाबैंक में अपना नाम शामिल करने हेतु (जो गैर-नवीकरण के कारण 10 मार्च 2021 से समाप्त हो गया है) नवीनीकरण आवेदन दाखिल करने के लिए अनुमति देने हेतु अनुरोध करते हुये 19 मार्च 2021 को एमसीए को पत्र लिखा गया है ताकि उपरोक्त नियमों का पालन किया जा सके. डाटाबैंक/एमसीए के निर्णय की प्रतीक्षा है] को छोड़कर निदेशकों ने यह भी पुष्टि की है कि उन्होंने डाटाबैंक में पंजीकरण और उसके नवीकरण के संबंध में कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2019 के पांचवें संशोधन के नियम 6 के उप नियम 1 और 2 के प्रावधानों का अनुपालन किया है. आईआईसीए ने सूचित किया है कि समाप्त हुए खातों के नवीकरण के लिए नये नियमों को शीघ्र ही एमसीए द्वारा अधिसूचित किए जाने की आशा है. उक्त को निदेशक मंडल द्वारा 15 अप्रैल 2021 को नोट किया गया था और इसकी सत्यता का सही आकलन करने के बाद इसी पर बोर्ड की राय थी कि स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं. इसके अलावा, बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक सभी प्रयोज्य विधियों तथा बैंक की नीतियों के अधीन अपेक्षित आवश्यक निष्ठा, अनुभव, विशेषज्ञता और प्रवीणता रखते हैं.

एमसीए ने 18 जून 2021 की अपनी अधिसूचना द्वारा कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटाबैंक का सृजन एवं अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2021 में संशोधन करते हुए स्वतंत्र निदेशकों को डाटाबैंक में अपनी सदस्यता का नवीकरण करने की अनुमति दी है. इस संशोधन के फलस्वरूप श्री एन. जंबुनाथन ने 22 जून 2021 को डाटाबैंक में अपनी सदस्यता का नवीकरण कर लिया है.

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति

निदेशकों की नियुक्ति और मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में बैंक की नीति https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp लिंक के अंतर्गत इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है.कंपनी का लाभांश वितरण नीति

कंपनी की लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण पर बैंक की नीति https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp लिंक के अंतर्गत इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है.

सचिवीय मानकों का अनुपालन

बैंक ने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों यथा एसएस-1 (बोर्ड बैठकों पर सचिवीय मानक) और एसएस-2 (सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक) को अंगीकृत किया है. बैंक ने अपनी बोर्ड, समिति और सामान्य बैठकों का आयोजन इन मानकों के अनुसार तथा इनका अनुपालन करते हुए किया है.

आंतरिक लेखापरीक्षक:

बैंक का अपना एक आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग है जो आंतरिक लेखा-परीक्षा का कार्य करता है. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार श्री एम. वी. फडके, कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बैंक को मुख्य लेखा-परीक्षा अधिकारी नामित किया गया है.

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरुप बैंक ने आंतरिक लेखा-परीक्षा नीति अपनाई है. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार श्री सुनित सरकार, कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बैक लिमिटेड को मुख्य लेखा-परीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.

दिवाला एवं शोधन अक्षमता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत शुरू की गई कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया पर प्रकटीकरण

बैंकिंग कंपनियों के लिए प्रावधान लागू नहीं है.

अपनी रिपोर्ट लेखापरीक्षकों अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए प्रत्येक संप्रेक्षण, दुराव (रिजर्वेशन) अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा दावात्याग पर बोर्ड की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में से किसी में भी कोई ऐसे संप्रेक्षण, दुराव (रिजर्वेशन) अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा दावात्याग नहीं है जिस पर बोर्ड की टिप्पणियों की आवश्यकता हो. इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12)के अनुसार, बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा बैंक में की गई धोखाधड़ी की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं की है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों के विवरण

उप-धारा (1) को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान, सामान्य कारोबार के दौरान बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, गारंटी अथवा प्रतिभूति पर लागू नहीं होते हैं. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंक द्वारा किए गए निवेश के ब्योरे वित्तीय विवरणों को अनुसूची 8 में प्रकट किए गए हैं.

निर्धारित फॉर्म पर संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार के विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार, यदि कोई हो, के विवरण निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में रिपोर्ट के साथ अनुबंध-ए के रूप में संलग्न किए गए हैं.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर रिपोर्ट

बैंक की सीएसआर नीति की रूपरेखा https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.asp. लिंक के अंतर्गत वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है. बैंक द्वारा पूरे किए गए सीएसआर कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध-बी** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक एक विस्तृत एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पालन करता है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के समय-समय पर इस संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतित किया जाता है. बोर्ड की एक समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन सहित बैंक के जोखिम से संबंधित पहलुओं की

नियमित रूप से समेकित रूप से समीक्षा करती है. बैंक का निदेशक मंडल भी आवधिक रूप से जोखिम मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही न्यूनीकरण प्रक्रियाओं और साथ ही बासेल III मानदंडों के अंतर्गत बैंक की पूंजी अपेक्षाओं की समीक्षा करता है.

बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके की सूचना का विवरण

कंपनी (लेखा) विनियमावली, 2014 के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार उपर्युक्त विषय पर ब्योरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

(i) स्वतंत्र निदेशकों ने दिनांक 27 अप्रैल 2021 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड की बैठकों के अध्यक्ष सहित सभी गैर-स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन और समग्र रूप से बोर्ड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया.

(ii) बोर्ड ने दिनांक 03 मई 2021 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, स्वयं के कार्य-निष्पादन का तथा साथ ही बोर्ड की समितियों के कार्यनिष्पादन का भी मूल्यांकन किया. सभी वैयक्तिक निदेशकों का मूल्यांकन संपूर्ण बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन के संबंध में (क) बैठकों में उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा और (ख) कंपनी अधिनियम 2013 और एलओडीआर विनियम में विनिर्दिष्ट स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करना तथा उनकी प्रबंधन से स्वतंत्रता के आधार पर मूल्यांकन भी शामिल है. बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किए जा रहे ऐसे संबंधित निदेशकों ने अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान बैठक में भाग नहीं लिया.

स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ वैयक्तिक निदेशकों, बोर्ड की समितियों और बोर्ड के संबंध में खाली मूल्यांकन शीटें ईमेल के माध्यम से वैयक्तिक निदेशकों को अग्रिम रूप में प्रेषित की गईं ताकि वे पहले से ही अपना अभिमत बना सकें और संबंधित बैठकों में मूल्यांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सहायता मिल सके. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के अध्यक्ष और बोर्ड द्वारा प्राधिकृत एमडी एवं सीईओ ने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के पश्चात् क्रमशः स्वतंत्र निदेशकगण और बोर्ड की ओर से मूल्यांकन शीटों पर हस्ताक्षर किए. बोर्ड के अध्यक्ष कों एमडी एवं सीईओ की शीट पर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत किया गया.

कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बैंकिंग के कारोबार को जारी रखा और इसके कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 मार्च 2021 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कुछ शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन आईडीबीआई बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे से हटाने का निर्णय लिया.

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

निदेशक का नाम	पदनाम	परिवर्तन का स्वरूप	दिनांक
श्री सुधीर श्याम	सरकारी नामिती निदेशक	सेवा समाप्ति	08.06.2020
श्री अंशुमन शर्मा	सरकारी नामिती निदेशक	नियुक्ति	11.06.2020
डॉ. आशिमा गोयल	स्वतंत्र निदेशक	त्याग पत्र	08.12.2020
श्रीमती पी. वी. भारती	स्वतंत्र श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक	नियुक्ति	14.01.2021
श्री पवन अग्रवाल	कंपनी सचिव	सेवा समाप्ति	15.04.2021
श्रीमती ज्योति बिजू नायर	कंपनी सचिव	नियुक्ति	16.04.2021
श्री अजय शर्मा	सी एफ ओ	सेवा समाप्ति	31.05.2021
श्री पी. सीताराम	सी एफ ओ	नियुक्ति	01.06.2021

निदेशकों के पारिश्रमिक

आईडीबीआई बैंक के 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र का बैंक बन जाने से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक एवं परिलब्धियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जाती हैं. एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध/लेनदेन नहीं रहे हैं.

एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक के घटक	
वेतन और भत्ते	**श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ -** वेतन 2,24,400/- प्रति माह और लागू महंगाई भत्ता (वर्तमान 17%) ₹ 38,148/- कुल ₹ 2,62,548/-. **श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी -** वेतन ₹ 1,93,200/- प्रति माह और लागू महंगाई भत्ता 17% की दर से ₹ 32,844/- कुल ₹ 2,26,044/-. **श्री सुरेश खटनहार -** वेतन ₹ 1,93,200/- प्रति माह और लागू महंगाई भत्ता 17% की दर से ₹ 32,844/- कुल ₹ 2,26,044/-.
परिवर्तनीय वेतन	घटकः रिजर्व बैंक द्वारा 4 नवंबर 2019 को डब्ल्यूटीडी को क्षतिपूर्ति के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार डब्ल्यूटीडी परिवर्तनीय वेतन के पात्र हैं. तद्नुसार निदेशक मंडल ने 15 मई 2021 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए डब्ल्यूटीडी हेतु क्षतिपूर्ति का अनुमोदन किया है तथा यह क्षतिपूर्ति रिजर्व बैंक से अनुमोदन मिलने के बाद लागू की जाएगी.
आतिथ्य	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशक, दोनों के संबंध में प्रत्येक के लिए ₹ 6,000 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन वास्तविक आतिथ्य (क्लब की सदस्यता उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर समायोज्य).
आवास	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशक दोनों को किराया-मुक्त सुसज्जित आवास.
वाहन व्यय	कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए बैंक की कार का निःशुल्क उपयोग.
छुट्टी यात्रा रियायत	एमडी एवं सीईओ और डीएमडी दोनों के लिए आधिकारिक दौरे हेतु लागू पात्रता श्रेणी के अनुसार स्वयं एवं परिवार के लिए भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए 2 वर्षों के ब्लॉक में एक बार.
पेंशन	बैंक, जहां वे कैरियर पद पर रहे थे, के नियमों और विनियमों के अनुसार कैरियर पद में (बोर्ड स्तर से नीचे) स्वीकार्य पेंशन, यदि कोई है, प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.
ग्रेच्युटी	एमडी एवं सीईओ / डीएमडी के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष अथवा 6 माह से अधिक की सेवा के लिए आधे माह के वेतन की दर से.
कार्यकाल	**श्री राकेश शर्मा -** पूर्व में भारत सरकार की दिनांक 5 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना सं. एफ.सं. 4/2/2015--बीओ.आई द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए थे. श्री राकेश शर्मा ने आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में 10 अक्तूबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था. एलआईसी ने 51% हिस्सेदारी के अर्जन के परिणामस्वरूप दिनांक 18 जनवरी 2019 के अपने पत्र द्वारा यह सूचित किया कि श्री राकेश शर्मा एमडी एवं सीईओ के रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक एलआईसी बैंक के बोर्ड में नए एमडी एवं सीईओ को नामित नहीं करती है. इसके बाद, एलआईसी ने 13 फरवरी 2019 के अपने पत्र द्वारा श्री राकेश शर्मा को बैंक के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(ii) के अंतर्गत 3 वर्षों के नए कार्यकाल के लिए आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में नामित किया है. आरबीआई अनुमोदन प्राप्ति के बाद बोर्ड ने श्री राकेश शर्मा की नियुक्ति को 19 मार्च 2019 से अनुमोदित किया है. 20 अगस्त 2019 को संपन्न वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से स्वीकृति प्राप्त की गई थी. **श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज -** बोर्ड द्वारा 19 सितंबर 2019 को आयोजित अपनी बैठक में 4 सितंबर 2019 के आरबीआई के पत्र में निर्दिष्ट पारिश्रमिक तथा नियमों और शर्तों पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया. श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज ने 20 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया. 17 अगस्त 2020 को संपन्न वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से स्वीकृति प्राप्त की गई थी. **श्री सुरेश खटनहार -** बोर्ड द्वारा 15 जनवरी 2020 को आयोजित अपनी बैठक में 9 जनवरी 2020 के आरबीआई के पत्र में निर्दिष्ट पारिश्रमिक तथा नियमों और शर्तों पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया. श्री सुरेश खटनहार ने 15 जनवरी 2020 को कार्यभार ग्रहण किया. 17 अगस्त 2020 को संपन्न वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से स्वीकृति प्राप्त की गई थी.

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के लिए मानदंड:

सरकार के नामिती निदेशकों को छोड़कर सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है. बोर्ड की बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹ 40,000/- (बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 10,000/- प्रति बैठक अतिरिक्त) और बोर्ड समिति बैठकों के लिए ₹ 20,000/- प्रति बैठक (बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 5,000/- प्रति बैठक अतिरिक्त) की दर से बैठक शुल्क अदा किया जाता है. एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को उपर्युक्त पारिश्रमिक और गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक फीस के अलावा आपके बैंक द्वारा निदेशकों को उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोड़कर और कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क की कुल राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
श्री एम. आर. कुमार, गैर कार्यपालक अध्यक्ष (एलआईसी को अदा की जा रही है)	7,50,000
श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक	12,60,000
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक	15,00,000
डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक (08.12.2020 तक)	8,80,000
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक	17,05,000
श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक	14,55,000
श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक	14,70,000
श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक	15,40,000
श्री संजय कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक,	13,75,000
श्रीमती पी. वी. भारती, अपर निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी) (14.01.2021 से)	2,45,000

कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अधीन प्रकटन

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक का निर्धारण नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित और बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के तहत आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जाता है. बैंक ने प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, उप प्रबंध निदेशकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए लागू वेतनमान को जारी रखा है.उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किए अनुसार बोर्ड के अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) अर्थात् मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को बैंक के समान ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू पारिश्रमिक मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों सहित कर्मचारियों के वेतनमान में आवधिक संशोधन बैंक के कार्यनिष्पादन सहित कई कारकों पर निर्भर है. बैंक ने कोई अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) जारी नहीं किया है, अतः बैंक के शेयरों के बाजार कोटेशन की कोई तुलना संभव नहीं है. तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक के शेयरों के बाजार मूल्य, वित्तीय अनुपात आदि का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है. डब्ल्यूटीडी को छोडकर कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कोई परिवर्ती वेतन अवधारणा लागू नहीं है. रिज़र्व बैंक द्वारा 4 नवंबर 2019 को डब्ल्यूटीडी को क्षतिपूर्ति के संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार परिवर्तनीय वेतन बैंक के तात्विक जोखिम लेने वाले एवं नियंत्रण कार्य स्टाफ पर लागू होगा तथा यह निदेशक मंडल एवं रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जोकि प्राप्त किया जाएगा.

कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) की शर्तों में अन्य विवरण नीचे दिये गए हैं:

बैंक के रोल पर नियमित कर्मचारियों की संख्या;	17,319 (इनमें से 950 कर्मचारी संविधा आधार पर और अन्य सभी कर्मचारी नियंत्रित थे)	
कंपनी के कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक और प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात;	**कार्यपालक निदेशक का नाम**	**सभी कर्मचारियों की माध्यिका में पारिश्रमिक का अनुपात**
	श्री राकेश शर्मा, डीएमडी एवं सीईओ	3.05
	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी	2.70
	श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी	2.65
वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक के पारिश्रमिक में वृद्धि प्रतिशत, यदि कोई हो;	**पदनाम**	**प्रतिशत वृद्धि**
	एमडी एवं सीईओ	-4% वित्तीय वर्ष 2020-21 में मौद्रिक सुविधाएं कम होने के कारण अंतर है.
	डीएमडी	चूंकि आपकी नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 के बीच में हुई थी, इसलिए पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि की तुलना नहीं की जा सकती.
	सीएफओ	-8% वित्त वर्ष 2019-20 में वेतन संशोधन की बकाया राशि प्राप्त होने से यह अंतर आया.
	सीएस	-9% वित्त वर्ष 2019-20 में वेतन संशोधन की बकाया राशि प्राप्त होने से यह अंतर आया.

वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक में वृद्धि प्रतिशत;	5%
पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन में पहले से हुई औसत वृद्धि तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि के साथ इसकी तुलना एवं इसका औचित्य तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए हुई असाधारण परिस्थितियों यदि कोई हों का उल्लेख;	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के गैर-प्रबंधकीय कार्मिकों के औसत पारिश्रमिक में 5% की वृद्धि हुई और बैंक के प्रबंधकीय कार्मिकों के औसत पारिश्रमिक में -7% की (ऊपर स्पष्ट किए अनुसार) वृद्धि हुई.
अभिवचन है कि पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है.	हाँ

महासभा की बैठकें

ए. बैंक की पिछली तीन वार्षिक महासभाओं का आयोजन निम्नानुसार हुआ है:-

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण

Location and time of the last three AGMs.	1) 13 अगस्त 2018 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (बैंक की 14वीं वार्षिक महासभा). 2) 20 अगस्त 2019 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (बैंक की 15वीं वार्षिक महासभा). 3) 17 अगस्त 2020 को अपराह्न 3.30 बजे विशेष रूप से वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से (बैंक की 16वीं वार्षिक महासभा).
पिछली तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान और समय	➢ **14वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 13 अगस्त 2018 को संपन्न 14वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक को ₹ 5,000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए एकल या एक से अधिक श्रृंखला में सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, बासेल III अनुपालित टीयर II बॉन्ड/ अतिरिक्त टीयर I बॉन्ड के रूप में ₹ 5,000 करोड़ तक जुटाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए. ➢ **15वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 20 अगस्त 2019 को संपन्न 15वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक को 11,000/- करोड़ रु (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) श्री ज्ञान पी जोशी (डीआईएनः 00603925) को 28 अगस्त 2019 से चार वर्षों की दूसरी पारी के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए. ➢ **16वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 17 अगस्त 2020 को संपन्न 16वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक को ₹ 11,000/- करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) बैंक के संस्था अंतर्नियम में परिवर्तन करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए.
क्या गत वर्ष डाक मतपत्र के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था - मतदान पद्धति का ब्योरा	नहीं
व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया	लागू नहीं

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण	
क्या कोई विशेष संकल्प डाक मतदान के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है.	नहीं
डाक मतदान की प्रक्रिया	चूंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई डाक मतदान संचालित नहीं किया गया था इसलिए यह मद लागू नहीं.

सूचना के साधन

बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अपेक्षित निदेशक-मंडल की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए नियमित रूप से तिमाही परिणाम प्रकाशित करता है. इन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र अर्थात् फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र अर्थात् लोकसत्ता में प्रकाशित किया जाता है और यह विज्ञापन शेयर बाजार को सूचित किए जाते हैं. उपर्युक्त जानकारी अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष की गई प्रस्तुतियों के साथ बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp पर भी उपलब्ध कराई गई है. आम शेयरधारकों के लिए सूचना आम शेयरधारकों के लिए सूचना

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

आम शेयरधारकों के लिए सूचना		
i.	एजीएम की तारीख, समय और स्थान	मंगलवार, 10 अगस्त 2021 को अपराह्न 2.00 बजे विशेष रूप से वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से
ii.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021
iii.	कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित एलओडीआर विनियमावली के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ई-वोटिंग अवधि.	ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 5 अगस्त 2021 को पूर्वाह्न 9.00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार) से प्रारंभ होगी और सोमवार, 9 अगस्त 2021 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार) समाप्त होगी.
iv.	लेखाबहियों के बंद रहने की तारीख	4 अगस्त 2021 से 10 अगस्त 2021 तक (दोनों दिनों सहित)
v.	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता और वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क के भुगतान की पुष्टि	1. **बीएसई लि. (बीएसई)** पता : 25वीं मंजिल, फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई -400001. 2. **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.** पताः (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-400051.. घरेलू बाज़ार में जारी किए गए बॉंड्रों में निजी तौर पर नियोजित बांड शामिल थे जो बीएसई/एनएसई पर सूचीबद्ध हैं. लागू सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया गया है.
vi.	स्टॉक कोड/ प्रतीक	बीएसई - 500116, एनएसई - आईडीबीआई
vii.	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	**केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड** यूनिट : आईडीबीआई इक्विटि, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500032

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

viii. शेयर अंतरण प्रणाली

बैंक के जो शेयर अनिवार्य रूप से डिमटेरियलाइज्ड स्वरुप में हैं वे डिपाजिटरी प्रणाली के माध्यम से अंतरणीय हैं. शेयर प्रमाणपत्र के अंतरण / स्थानांतरण / डुप्लीकेट शेयर जारी करने के कार्य कार्यपालक निदेशक/ मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित किए जाते हैं.

1 अप्रैल 2020 के अनुसार शिकायत निवारण के लिए दो निवेशक शिकायत लंबित थी और 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट को शेयरधारकों/ निवेशकों से कुल 5819 निवेशक शिकायतें प्राप्त हुईं. वर्ष के दौरान 5541 शिकायतों का निपटान किया गया और 31 मार्च 2021 को शिकायत निवारण के लिए 280 निवेशक शिकायत लंबित थीं.

शेयरों के संबंध में 1 अप्रैल 2020 को अंतरण से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं था. 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान शेयरों के अंतरण के लिए केवल एक अनुरोध (1 अप्रैल 2019 के पहले के अस्वीकृत मामले जो सुधार के बाद प्राप्त हुए) आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट द्वारा प्राप्त हुआ जिस पर कार्रवाई की गई. 31 मार्च 2021 को कोई अनुरोध लंबित नहीं था.

सेबी सूचीबद्धता विनियमनों के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से जब तक शेयर डिमटेरियलाइज्ड स्वरुप में ना हो, उसके अंतरण पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.

ix. वित्तीय कैलेंडर

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021

तिमाही परिणाम निम्नलिखित तारीखों को अनुमोदित किए गए थे:

के परिणाम	बोर्ड की बैठकें
जून 2020	28 जुलाई 2020
सितंबर 2020	23 अक्तूबर 2020
दिसंबर 20202	28 जनवरी 2021
मार्च 2021	03 मई 2021

x. शेयरों और चलनिधि का डिमेटेरिलाइजेशन

कंपनी के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में अनिवार्य रूप से अमूर्त रूप में ट्रेड किया जाना चाहिए.

31 मार्च 2021 तक अमूर्त और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों की संख्या इस प्रकार है:

	शेयरों की संख्या	जारी की गई कुल पूंजी का %
एनएसडीएल में डिमेटरियलाइज्ड से रखे गए	5678873747	52.82
सीडीएसएल में डिमेटरियलाइज्ड से रखे गए	5064819377	47.10
भौतिक	8709051	0.08
कुल	**10752402175**	**100.00**

xi. ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता

बैंक द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां बीएसई/एनएसई लिमिटेड ऋण खंड पर सूचीबद्ध हैं.

xii. डिबेंचर न्यासी

- **एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,**
  दि ख्बी, दूसरी मंजिल, एसडब्ल्यू, 29, सेनापति बापट मार्ग,
  दादर (पश्चिम) मुंबई- 400 028.
  फोन नंबर: 022-62300451
  ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी
  debenturetrustee@axistrustee.com

- **एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड,**
  मिस्त्री भवन,4 थी मंजिल,दिनशा वाछा रोड,
  चर्चगेट, मुंबई -400020.
  फोन नंबर: 022-43025500/5566.
  ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी
  anupama.naidu @sbicaptrustee.com

आम शेयरधारकों के लिए सूचना		
xiii.	बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर)/ अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें (एडीआर)/ वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव	आईडीबीआई बैंक लि. ने जीडीआर/ एडीआर/ वारंट आदि जारी नहीं किए हैं.
xiv.	प्लांट का स्थान	लागू नहीं. तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थान के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट, (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है.
xv.	पत्राचार के लिए पता	आईडीबीआई बैंक लि. सीआईएन - L65190MH2004GOI148838 इक्विटी कक्ष- बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लि., 22वीं मंज़िल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 फोन- 022 - 66553062/2711/3147/3336 ई-मेल - idbiequity@idbi.co.in वेबसाइट - www.idbibank.in रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032 टोल फ्री नंबर: 1-800-3454 001 वेबसाइट:www.kfintech.com ईमेल : einward.ris@kfintech.com
xvi.	बैंक द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची	क्रेडिट रेटिंग के विवरण प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिये गए हैं
xvii.	बाज़ार मूल्य डेटा	तालिका i देखें
xviii.	बीएसई सेंसेक्स आदि व्यापक सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन.	तालिका ii देखें
xix.	शेयरधारिता का वितरण	तालिका iii देखें

तालिका i

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में आईडीबीआई बैंक लि. के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव : अप्रैल 2020 - मार्च 2021

(₹)

	एनएसई		बीएसई			एनएसई		बीएसई	
माह	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	माह	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल 2020	22.45	19.30	22.45	19.30	अक्तूबर 2020	39.75	33.55	39.75	33.60
मई 2020	20.80	19.35	20.85	19.35	नवंबर 2020	38.10	35.85	38.10	35.85
जून 2020	44.10	24.45	43.80	24.35	दिसंबर 2020	42.50	30.85	42.50	30.90
जुलाई 2020	53.55	36.85	53.10	36.90	जनवरी 2021	32.30	26.85	32.30	26.80
अगस्त 2020	43.30	38.55	43.25	38.55	फरवरी 2021	32.35	28.85	32.35	28.80
सितं 2020	39.50	32.85	39.50	32.85	मार्च 2021	42.00	31.45	42.00	31.45

तालिका ii:

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान बीएसई सेंसीटिव इंडेक्स (सेंसेक्स) की तुलना में आईडीबीआई बैंक के इक्विटी शेयर का प्रदर्शन निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है:

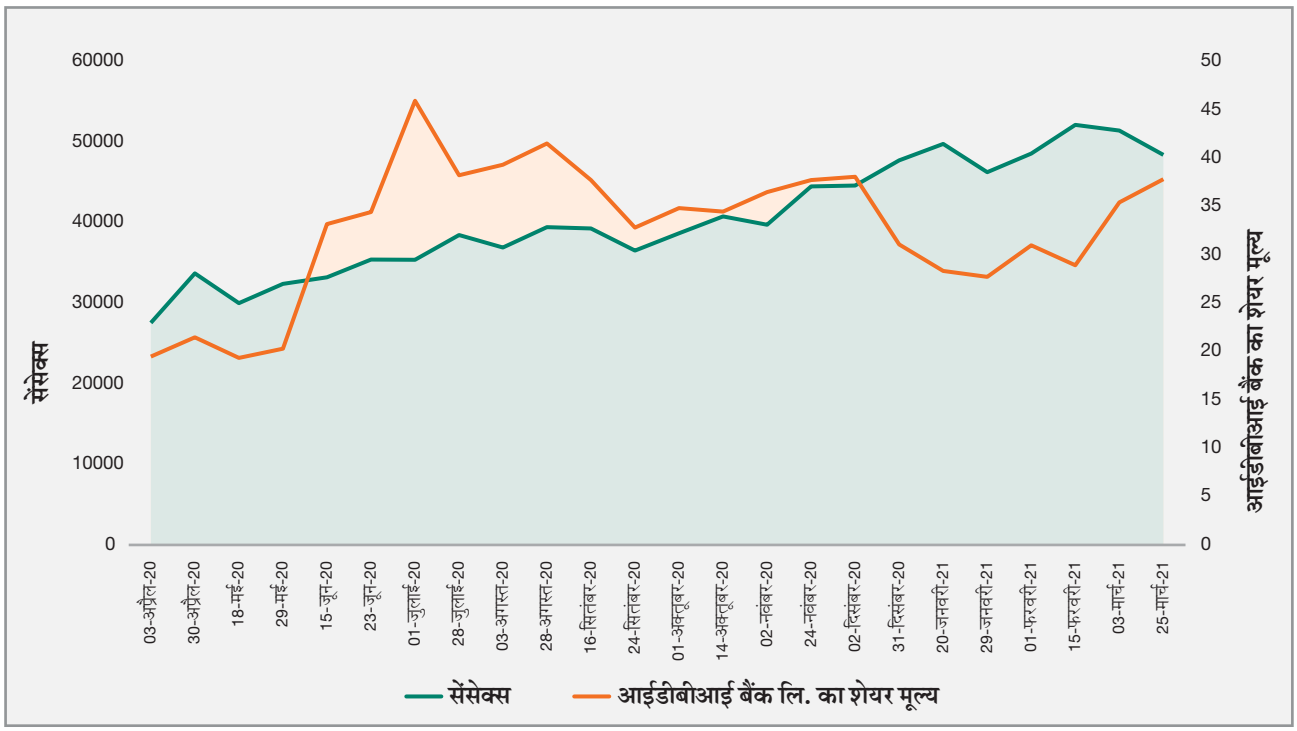

तालिका iii :

मार्च 2021 के अंत में बैंक के शेयरधारकों की प्रमुख श्रेणियों द्वारा शेयरधारिता के ब्योरे और वितरण अनुसूची नीचे दी गई है :

31 मार्च 2021 को शेयरधारिता का स्वरूप

शेयर धारकों की श्रेणी		धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
	भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रबंधन नियंत्रण के साथ प्रमोटर)	5294102939	49.24
	भारत सरकार (बिना प्रबंधन नियंत्रण के साथ सह- प्रमोटर)	4889871903	45.48
	कर्मचारी	719466	0.01
	जनता	313051471	2.91
	हिन्दू अविभाजित परिवार	13466284	0.13
	कॉरपोरेट निकाय	23736537	0.22
	संस्थाएं		
अ)	बैंक	148051718	1.38
आ)	विदेशी संस्थागत निवेशक	9619298	0.09
इ)	राज्य वित्त निगम	6476683	0.06
ई)	वित्तीय संस्थाएं	2590673	0.02
उ)	म्यूचुअल फंड	3974966	0.04
	सोसायटी	24800	0.00
	न्यास	381860	0.00

शेयर धारकों की श्रेणी		धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
	बीमा कंपनियां	12778869	0.12
	अनिवासी भारतीय	10915624	0.10
	निदेशक, केएमपी एवं उनके रिश्तेदार		
	(i) श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	4400	0.00
	(ii) श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी	24200	0.00
	(iii) श्री अजय शर्मा, सीएफओ	120	0.00
	एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	16710219	0.15
	एनबीएफसी	25745	0.00
	आईईपीएफ	5874400	0.05
	कुल योग	**10752402175**	**100.00**

31 मार्च 2021 को वितरण अनुसूची

क्र. सं.	श्रेणी		शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों में %	राशि (₹)	कुल राशि में %
	से	तक				
1	1	5000	532472	98.42	1839885000.00	1.71
2	5001	10000	4772	0.88	363911780.00	0.34
3	10001	20000	2079	0.38	300359190.00	0.28
4	20001	30000	622	0.11	157269520.00	0.15
5	30001	40000	293	0.05	103824350.00	0.10
6	40001	50000	213	0.04	98906320.00	0.09
7	50001	100000	290	0.05	209784060.00	0.20
8	100001 एवं अधिक		257	0.05	104450081530.00	97.14
कुल			**540998**	**100.00**	**107524021750.00**	**100.00**

अन्य प्रकटन -

i. कंपनी अधिनियम, 2013 के चैप्टर V के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों से संबंधित विवरण और उन जमाराशियों का विवरण जो अधिनियम के चैप्टर V की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हैं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(1) के प्रावधान के अनुसार, इस उप-खंड में कुछ भी बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होगा और इसलिए, आईडीबीआई बैंक पर उपरोक्त विवरण के प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होती है.

ii. विनियामकों या न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण जो चल रही स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित कर रहे हैं

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विनियामकों या न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया जो चल रही स्थिति और आईडीबीआई बैंक के संचालन को प्रभावित कर सके.

iii. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी अनुषंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या समाप्त हो गई हैं

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोई नई अनुषंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम (जेवी) या सहयोगी कंपनियों का गठन नहीं किया गया है. उक्त वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोई भी अनुषंगी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां समाप्त नहीं की गई हैं.

iv. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों को नियमित रूप से बैंक के व्यवसाय, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और नियामक वातावरण में परिवर्तन के अनुसार बैंक में अनुपालन आवश्यकताओं से परिचित कराया जा रहा है. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों को नामित/प्रतिनियुक्त किया गया था.

इस संबंध में विस्तृत स्थिति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in)पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है : https://www.idbi.com/secretarial-disclosures.asp

v. विजिल तंत्र की स्थापना

बैंक ने सांविधिक/विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में एक बोर्ड अनुमोदित विजिल तंत्र की स्थापना की है. विजिल तंत्र की रिपोर्ट बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया था. विजिल तंत्र की स्थापना के विवरण देने वाली विजिल तंत्र की नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in)पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

vi. महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 46 की आवश्यकताओं के अनुसार महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है : https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

vii. संबंधित पक्ष लेनदेन व्यवहार पर नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और एलओडीआर विनियमावली के विनियम 23 के प्रावधानों के आधार पर बैंक ने संबंधित पक्ष लेनदेन व्यवहार पर नीति तैयार की है.

संबंधित पक्ष लेनदेन व्यवहार से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in)पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है. https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

viii. मूर्त रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण जिनका व्यापक स्तर पर सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो.

एलओडीआर विनियमावली की सूची V के साथ पठित विनियम 34 के संबंध में में यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक द्वारा मूर्त रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो सकता हो.

ix. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जानकारी

यौन उत्पीड़न के खिलाफ बैंक की एक नीति है तथा उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया है. उक्त नीति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप है. बैंक ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग)बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में संशोधन के अनुसार, वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या से संबंधित विवरण नीचे प्रदान किया गया है:

अ	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई शिकायतों की संख्या	07
आ	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	07
इ	वित्तीय वर्ष में अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	04

x. पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा और पण्य हेजिंग गतिविधियों का प्रकटन

बैंक पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा और पण्य हेजिंग गतिविधियों, यदि कोई हों, के संबंध में विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है.

xi. लेखांकन व्यवहार का प्रकटीकरण

एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के संदर्भ में यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्धारित लेखा मानकों से अलग कोई व्यवहार नहीं किया गया है, लेखा मानकों का पालन किया गया है और इसलिए, इस संबंध में प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है.

xii. प्रकटीकरण, कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकार्ड का रखरखाव कंपनी द्वारा आवश्यक है और तदनुसार ऐसे खाते और रिकार्ड बनाए और रखे जाते हैं.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी होने के कारण इस पर लागत रिकार्ड के रखरखाव के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

xiii. प्रकटन

क) निम्नलिखित को छोडकर 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021 के दौरान ऐसी किसी कंपनी को वित्तीय सहायता नहीं दी गई जिसमें बैंक के किसी निदेशक की हितबद्धता होः

(i) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि (आईएएमएल)- श्री राकेश शर्मा एमडी एवं सीईओ आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के निदेशक मंडल में हैं. तथापि, आईडीबीआई बैंक लि. की सहायक संस्था है अतः संबद्ध उधार प्रावधानों के संबंध में इसे रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत छूट प्राप्त है.

(ii) एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया- श्री राकेश शर्मा एमडी एवं सीईओ एक्सिम बैंक के निदेशक मंडल में थे. तथापि,एक्सिम बैंक को नकदी प्रवाह के असंतुलनों को पूरा करने हेतु इंटरा डे/ओवरड्राफ्ट की मंजूरी दी गयी है अतः संबद्ध उधार प्रावधानों के संबंध में इसे रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत छूट प्राप्त है.

(iii) आईडीबीआई इंटेक लि.- श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी आईडीबीआई इंटेक लि. के निदेशक मंडल में हैं. तथापि, चूँकि यह आईडीबीआई बैंक लि. की सहायक संस्था है अतः संबद्ध उधार प्रावधानों के संबंध में इसे रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत छूट प्राप्त है.

ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड, कटु आलोचना के विवरण निम्नानुसार हैं:

वि.व 2018-19	शून्य. तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने (i) आरबीआई द्वारा आय अभिनिर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) पर जारी निर्देश के गैर अनुपालन पर बैंक पर दिनांक 09 अप्रैल 2018 को ₹ 3 करोड़ (ii) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर आरबीआई के विनियामक निर्देश के गैर अनुपालन के लिए दिनांक 04 फरवरी 2019 को ₹ 20 लाख और (iii) स्विफ्ट संबंधी परिचालन नियंत्रणों को मजबूत करने और समयबद्ध कार्यान्वयन पर आरबीआई के विनियामक निर्देशों के उल्लंघन के लिए दिनांक 25 फरवरी 2019 को ₹ 01 करोड़ का दंड लगाया था.
वि.व 2019-20	शून्य
वि.व 2020-21	शून्य

ग) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूओपी) के माध्यम से 19 दिसंबर 2020 को 44 पात्र क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के जरिये ₹ 1,435,18 करोड़ का फंड जुटाया था. प्राप्त राशि का पूरी तरह से बैंक की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया है.

घ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एलओडीआर विनियमावली, के विनियम 32(4) के अनुसार महासभा के नोटिसों के व्याख्यात्मक विवरण में उल्लेखित उद्देश्यों से प्राप्त की गई राशियों के उपयोग के संबंध में कोई विचलन नहीं किया गया है.

ङ) मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव (सीपी सं. 1774) से दिनांक 12 मई 2021 का इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कंपनी कार्य मंत्रालय अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा

कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने अथवा बने रहने के लिए विवर्जित अथवा निरर्हित नहीं किया गया है. यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट से संलग्न है.

च) बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट में वे सभी प्रकटन किए हैं जो एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V (वार्षिक रिपोर्ट) कॉरपोरेट अभिशासन खंड के उप-पैरा (2) से (10) के संदर्भ में आवश्यक थे.

छ) बैंक ने एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियमन (2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का अनुपालन किया है.

ज) बैंक ने एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अंतर्गत दी गई अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और निर्धारित समय सीमाओं के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित प्ररूपों में कॉरपोरेट अभिशासन पर तिमाही/छमाही/वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहा है.

झ) ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की ऐसी किसी सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं किया हो जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो, अतः इस संबंध में किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है.

ञ) एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों को दी जाने वाली सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क ₹ 325 लाख (एलएफएआर, प्रमाणीकरण शुल्क, कर लेखापरीक्षा शुल्क, एसआरए लेखापरीक्षा आदि सहित) और ₹ 24 लाख आउट ऑफ पैकेट खर्च का भुगतान किया गया है.

ट) **सहायक कंपनियाँ:** 31 मार्च 2021 को बैंक की 5 सहायक संस्थाएं यथा- आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि., आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कं. लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. थीं. बैंक के निदेशक मंडल के किसी स्वतंत्र निदेशक को उसकी किसी सहायक संस्था के बोर्ड में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सहायक संस्थाओं में से कोई भी संस्था एलओडीआर विनियमावली के विनियम 16 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार भौतिक गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है. एलओडीआर विनियमावली के विनियम 24 के अनुपालन में बैंक की लेखा परीक्षा समिति गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से उनके द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा करती है. गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त नियमित रूप से बैंक के बोर्ड की बैठकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं.

ठ) **दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति:** सेबी (एलओडीआर) के विनियम 9 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने बोर्ड अनुमोदित दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति कार्यान्वित की है.

ड) **डीमैट उचंत खाता/ अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटन:** एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार आपका बैंक अदावी उचंत खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निम्न ब्योरे रिपोर्ट करता है:

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	दिनांक 1 अप्रैल 2020 को उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	169	32,986
(ख)	दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए आपके बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	0	0
(ग)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	0	0
(घ)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 एवं 125 के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित शेयरों की संख्या	152	29,706
(ङ)	दिनांक 31 मार्च 2021 को उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	17	3,280
(च)	इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरोधित (फ्रीज) रहेगा जब तक इन शेयरों के वैध स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते.		

ढ) **निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) के संबंध में प्रकटन**

क) वर्ष के दौरान आईईपीएफ में किए गए अंतरण/अंतरणों के विवरण :

क्रमांक	विवरण	शेयर	राशि (₹ में)
(i)	अदावी/अप्रदत्त लाभांश और संबंधित शेयरों की राशि	1600155	39148656.00
(ii)	अधिमानी शेयरों की मोचन राशि	लागू नहीं	0
(iii)	बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए उपचित ब्याज के साथ परिपक्व जमा की राशि	लागू नहीं	0
(iv)	उपचित ब्याज के साथ परिपक्व डिबेंचर राशि	लागू नहीं	0
(v)	किसी भी प्रतिभूति के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि तथा धन वापसी के लिए उपचित ब्याज सहित देय राशि	लागू नहीं	0
(vi)	बोनस शेयर के जारी होने, विलय और अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले आंशिक शेयरों की बिक्री राशि	लागू नहीं	0

ख) आईईपीएफ को पहले ही अंतरित शेयरों से उत्पन्न परिणामी लाभ के विवरण - शून्य

ग) अदावी/अप्रदत्त लाभांश की वर्ष-वार राशि जो वर्ष के अंत में अप्रदत्त खाते में पड़ी है तथा ऐसे शेयर जो आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हैं व ऐसे अंतरण के लिए देय दिनांक का विवरण:

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	अप्रदत्त लाभांश	शेयरों की संख्या	आईईपीएफ में अंतरण के लिए देय दिनांक
i.	वि.व 2013-14 (अंतिम)	3238620.00	64184	06.08.2021
ii.	वि.व 2014-15	8427251.00	60905	18.09.2022

घ) आईईपीएफ को कंपनी द्वारा दिये गए दान की राशि, यदि कोई हो **शून्य**

ङ) वर्ष के दौरान आईईपीएफ को अंतरित ऐसी अन्य राशि, यदि कोई हो नीचे दी गयी तालिका के अनुसार

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (पूर्ववर्ती आईडीबीआई) संसद के एक विशेष अधिनियम, अथर्त आईडीबीआई अधिनियम, 1964 के तहत गठित एक सांविधिक निगम था. इसे वर्ष 2004 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया था जिसका वर्तमान में नाम आईडीबीआई बैंक है.

1995 में आईपीओ के संबंध में धन-वापसी के लिए देय आवेदन राशि और कंपनी बनने से पहले पूर्ववर्ती -आईडीबीआई द्वारा घोषित अदावी लाभांश आईडीबीआई बैंक के पास पड़े थे. सचिवीय लेखा परीक्षकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, इस मामले में एमसीए/आईईपीएफ प्राधिकरण से सलाह लेने का सुझाव दिया गया था. तदनुसार, आईडीबीआई बैंक ने इस संबंध में सलाह लेने के लिए एमसीए/आईईपीएफ प्राधिकरण को पत्र लिखे हैं.

इसके जवाब में, आईईपीएफ प्राधिकरण ने दिनांक 01 फरवरी, 2021 के पत्र द्वारा आईडीबीआई बैंक को पूर्ववर्ती आईडीबीआई से संबंधित अप्रदत्त लाभांश को आईईपीएफ को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया. पूर्वोक्त निर्देश के अनुसार, आईडीबीआई बैंक ने आईईपीएफ को निम्नलिखित पूर्व-निगमन अवधि की राशि अंतरित की.

वित्तीय वर्ष	विवरण	रुपये में अंतरित राशि	आईईपीएफ में फ़ाइल करने की तारीख
1995-96	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	6435618.00	22.03.2021
1996-97	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	7210523.00	23.03.2021
1997-98	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	10312830.00	23.03.2021
1998-99	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	9761505.00	23.03.2021
1999-00	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	9768570.00	23.03.2021
2000-01	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	12221578.00	23.03.2021
2001-02	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	7693565.00	23.03.2021
2002-03	अदावी/अप्रदत्त लाभांश	7136880.00	23.03.2021
1995-96	पूर्ववर्ती आईडीबीआई के आईपीओ (वि व 1995-96) के संबंध में अदावी/ अप्रदत्त धन-वापसी आदेश	605766.00	31.03.2021

विनियम 27 की विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग उ में दी गई विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवेकपूर्ण अपेक्षाएं	स्थिति
1.	गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए पात्र होंगे और उनको अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी जाएगी.	बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 116(1) (i) के अनुसार एलआईसी के अध्यक्ष श्री एम.आर.कुमार को 13 मई 2019 से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का गैर-कार्यपालक गैर पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. बैंक ने आईडीबीआई टावर, कफ परेड, मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष के कार्यालय की व्यवस्था की है. एलआईसी की ओर से एम.आर.कुमार द्वारा बोर्ड बैठकों में उपस्थिति के लिए एलआईसी को बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है.
2.	शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को पिछले छः महीनों के दौरान उल्लेखनीय कार्यक्रमों के सार सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा भेजी जाए.	तिमाही और साथ ही अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को बोर्ड के अनुमोदन के तुरंत बाद शेयरधारकों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजी जाती है.
3.	कंपनी आशोधित लेखा परीक्षा अभिमत वाले वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो.	बैंक लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है.
4.	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करें.	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे एसीबी को रिपोर्ट करते हैं.

आचार एवं सदाचार संहिता

बैंक के निदेशक मंडल ने अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार एवं सदाचार संहिता को अपनाया है. एलओडीआर विनियमावली के अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 की अपेक्षाओं के अनुपालन में आपके बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि के बारे में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा घोषणा

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

राकेश शर्मा
(डीआईएन - 06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक: 07 मई 2021

सीईओ/सीएफ़ओ का स्पष्टीकरण

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार वित्तीय विवरणों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में एमडी एवं सीईओ और सीएफओ से प्रमाणन प्राप्त किया गया है और उसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है.

अनुबंधन-अ

एओसी -2

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा तृतीय परंतुक के अंतर्गत किए गए कुछ स्वतंत्र संव्यवहार सहित की गई संविदाओं/ व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

i. स्वतंत्र आधार के न होते हुए की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा व्यवस्था या संव्यवहार मूल्य सहित, यदि कोई हो, की प्रमुख शर्तें	इस प्रकार की संविदा अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहार करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परंतुक की अपेक्षा अनुसार महासभा में विशेष संकल्प पारित होने की तारीख
शून्य								

ii. स्वतंत्र आधार पर महत्वपूर्ण संविदाओं अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार मूल्य सहित, यदि कोई हो, की प्रमुख शर्तें:	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खें), यदि कोई हो :	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो :
शून्य						

राकेश शर्मा
(डीआईएन-06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक: 07 मई 2021

अनुबंध-आ

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

बैंक की सीएसआर नीति का उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित वर्ग में व्याप्त विभेदों की पहचान कर उनकी बेहतरी के लिए आवश्यकता आधारित योगदान करते हुए उनके लिए मूर्त, दृश्य तथा स्थायी बदलाव लाना है.बैंक इसे प्रत्यक्ष दखल तथा विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए तथा हिताधिकारियों के साथ भागीदारी निर्मित करते हुए हासिल करना चाहता है.

बैंक की सीएसआर नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, पर्यावरणीय स्थायित्व, आजीविका के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण विकास परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग और दखल से प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है.

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक	पदनाम	वर्ष के दौरान उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों में उपस्थिति
1	श्री राकेश शर्मा	डीएमडी एवं सीईओ - समिति के अध्यक्ष	02	02
2	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	उप प्रबंध निदेशक	02	02
3	श्री सुरेश खटनहार	उप प्रबंध निदेशक	02	02
4	श्री सुधीर श्याम (8.06.2020 तक)	सरकारी नामिती निदेशक	01	01
5	डॉ. आशिमा गोयल (8.12.2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	02	02
6	श्री समरेश परिदा (26.06.2020 से)	स्वतंत्र निदेशक	01	01
7	श्रीमति पी.वी. भारती (28.01.2021 से)	अपर स्वतंत्र निदेशक	00	00

3. वेबलिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है : सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों का वेब-लिंक है https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.asp

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें) : लागू नहीं

5. **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो:** लागू नहीं

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
		शून्य	

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 18, वित्तीय वर्ष 19 और वित्तीय वर्ष 20 में बैंक का औसत निवल हानि का जोड़ रु 9,941.18 करोड़ हानि रहा है.

7. क. धारा 135(5) अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: लागू नहीं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार बैंक ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 18, वित्तीय वर्ष 19 और वित्तीय वर्ष 20 के लिए रु 9,941.18 करोड़ की औसत निवल हानि उठाई है.

ख. **वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो:** लागू नहीं

ग. **वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग):** लागू नहीं

8. क. **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:** चूंकि पिछले तीन वर्षों के लिए औसत निवल लाभ नकारात्मक रहा है इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु सीएसआर व्यय बैंक के लिए अनिवार्य नहीं है.

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि। (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि.		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि.		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
शून्य					

ख. **वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:** लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	कार्यान्वयन का स्वरूप- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का स्वरूप	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
शून्य												

ग. **वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:** लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का स्वरूप- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का स्वरूप	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
शून्य									

घ) **प्रशासनिक उप-शीर्ष में खर्च की गई राशि:** लागू नहीं

ङ) **प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो:** लागू नहीं

च) **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ):** लागू नहीं

छ) **समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:** लागू नहीं

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(i)	धारा 135(5) अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	लागू नहीं
(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	लागू नहीं
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	लागू नहीं
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्षों के गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	लागू नहीं

9. अ. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: लागू नहीं

क्रम सं.	गत वित्त वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)
				फंड का नाम	राशि (₹ में)	हस्तांतरण की तिथि	
शून्य							

आ. **पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :** लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना प्रारंभ की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति - पूर्ण/चल रहा है
शून्य								

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण): लागू नहीं

(क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : लागू नहीं

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि : लागू नहीं

(ग) उस इकाई या लोक प्राधिकारी या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि : लागू नहीं

(घ) सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (यों) (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें: : लागू नहीं

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है: कंपनी अधिनियम 2013 में दिये गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुरूप आईडीबीआई बैंक को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत कोई व्यय उपगत करने की आवश्यकता नहीं है.

राकेश शर्मा
(डीआईएन -06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
सीएसआर समिति अध्यक्ष
15 मई 2021

फॉर्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005.

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् 'बैंक' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है. सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार संचालित की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है.

बैंक की बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही, बैंक ने इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, वर्णित रीति से और उसके अध्यधीन उपयुक्त बोर्ड- प्रक्रियाएँ और अनुपालन-प्रणाली लागू की हैं.

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, फाइल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन तैयार की गई विनियमावली तथा उप-विधियों;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमन - लागू नहीं, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली कोई घटना नहीं है;

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश:-

   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

   ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

   घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 - लागू नहीं, क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान उक्त विनियम के अंतर्गत कुछ भी रिपोर्ट योग्य नहीं है;

   ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;

   च. कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ संव्यवहार के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम,1993 - लागू नहीं, क्योंकि बैंक समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं है;

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 - लागू नहीं, क्योंकि बैंक ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी स्टाक एक्सचेंज से अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध नहीं किया है/ असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं किया है;

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 2018 - लागू नहीं, क्योंकि बैंक ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी प्रतिभूति की वापसी-खरीद नहीं की है/ वापसी-खरीद का प्रस्ताव नहीं किया है;

झ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015.

vi. प्रबंधन ने बैंक पर विशिष्ट रूप से लागू निम्नलिखित विधियों की पहचान तथा पुष्टि की है:

1. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियम, अधिसूचनाएं, परिपत्र एवं मार्गदर्शन;
2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934;
3. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002;
4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007;
5. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881.

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और महा सभा (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानक;

(ii) बीएसई लिमिटेड व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करार.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है:

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

- बैंक के निदेशक मंडल का कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक के समुचित संतुलन के साथ विधिवत गठन किया गया है, जोकि रिपोर्ट में अन्यत्र की गई टिप्पणियों के अधीन है*. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं.
- केवल ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत नोट बैठक से सात दिन से कम समय पहले भेजने के लिए निदेशकों की सहमति प्राप्त हुई थी, सभी निदेशकों को बोर्ड /समिति बैठकों के आयोजन के संबंध में पर्याप्त समय पहले सूचना दी जाती है और कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए हैं;
- बैठकों से पहले कार्य-सूची की मदों पर अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने तथा लेने के लिए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए व्यवस्था मौजूद है.
- बोर्ड तथा समिति की बैठकों में सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत से लिये गए हैं.

* बैंक के स्वतंत्र निदेशक श्री जंबुनाथन नारायणन, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा प्रबंधित स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में अपने पंजीयन का नवीकरण निर्धारित अवधि में नहीं करा पाए थे, जिसके चलते डेटाबैंक में उनका पंजीयन दिनांक 8 फरवरी 2021 से समाप्त हो गया है. हमें यह सूचित किया गया है कि उनका नाम पुनः शामिल करने हेतु उक्त मामले को आईआईसीए और कंपनी मामलों के मंत्रालय के समक्ष रखा गया है. रिपोर्ट तैयार करने तक उनकी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. श्री जंबुनाथन द्वारा किए गए प्रकटन तथा बैंक द्वारा की गई पुष्टि के आधार पर हम यह नोट करते हैं कि औचित्य और बेहतर अभिशासन के तहत जब तक श्री जंबुनाथन का नाम डेटाबैंक में पुनः शामिल नहीं हो जाता, वे बोर्ड/ समितियों की बैठक में अनुपस्थिति के लिए छुट्टी की अनुमति लेते रहेंगे.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा स्थापित अनुपालन प्रणाली की समीक्षा और विभिन्न प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक (कों) में दर्ज किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र(त्रों) के आधार पर हमारा अभिमत है कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के पास प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं और बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप प्रणालियों और प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहा है.

- बैंक ने सूचित किया है कि उसने विभिन्न सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों से प्राप्त नोटिसों का उचित उत्तर दिया है और जहां आवश्यक पाया गया है वहाँ सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई की गई है.

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुसरण के कारण निम्न गतिविधियों/कार्रवाइयों का बैंक के कार्य पर प्रमुख प्रभाव पड़ा:

- बैंक ने:
  1. 19 दिसंबर 2020 को अहर्ताप्राप्त संस्थागत नियोजन के आधार पर अहर्ताप्राप्त संस्थागत खरीदारों को 37,18,08,177 इक्विटी शेयर जारी और आबंटित किए.
  2. कुल मिलाकर ₹ 2,141.40 करोड़ की ऋण प्रतिभूतियों (कॉल विकल्प सहित) का उनकी संबंधित देय तारीखों को मोचन किया गया.
- दिनांक 17 अगस्त 2020 को हुई वार्षिक महासभा में सदस्यों ने विशेष संकल्पों के माध्यम से निम्न कार्य सम्पन्न किए:
  1. एक अथवा अधिक विधियों के जरिए ₹ 11,000 करोड़ तक की निधियाँ जुटाने के लिए निदेशक मण्डल को प्राधिकृत किया.
  2. संस्था के अंतर्नियमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र के बैंक के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए इनमें परिवर्तनों का अनुमोदन किया जो सांविधिक / विनियमकीय और सदस्यों के अनुमोदन के अधीन होगा.
- निदेशक मण्डल ने अपनी 12 फरवरी 2021 को सम्पन्न बैठक में 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित विवरणों में यथा उल्लिखित प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा राशि का संचित हानि के निपटान के लिए पूर्णतः अथवा यथासंभव अधिकतम उपयोग करने हेतु पूंजी में कमी की योजना का अनुमोदन किया.

रिपोर्ट हमारे सम दिनांकित पत्र के साथ पढ़ी जाए जो कि अनुबंध अ में इस रिपोर्ट के एक अभिन्न अंग के रूप में यहाँ संलग्न की गई है.

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड नं. P1991MH040400
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र नं.: 606 /2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफ़सीएस: 4206 | सीओपी नं. 1774
आईसीएसआई यूडीआईएन: F004206C000280537
दिनांक : 12 मई 2021 | ठाणे

अनुबंध-अ

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई-400005

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सम दिनांकित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

प्रबंधन की जिम्मेदारी:

1. यह बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करे, लागू सभी विधियों तथा विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां तैयार करें और सुनिश्चित करें कि प्रणालियां पर्याप्त हों और प्रभावी ढंग से परिचालन करें.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों, सचिवीय अनुपालनों के संबंध में बैंक द्वारा अनुसरण किए गए मानकों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अपनी राय प्रकट करना है.

3. हमारा विश्वास है कि बैंक प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारियां हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करने हेतु समुचित एवं पर्याप्त हैं.

4. जहां भी आवश्यक हुआ है, हमने विधियों, नियमों व विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने के बारे में प्रबंधन से प्रकथन प्राप्त किया है.

डिस्क्लेमर

5. कोविड-19 के कारण हुई महामारी और सरकार द्वारा लागू किए लॉकडाउन/जनता के आवागमन पर प्रतिबंध के कारण इस रिपोर्ट को जारी करने के प्रयोजन से हमने अपना लेखापरीक्षा कार्य बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और सूचनाओं के आधार पर दूरस्थ रूप में किया है.

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कामकाज को संचालित करने की प्रबंधन की क्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है.

7. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की परिशुद्धता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड नं. P1991MH040400
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र नं.: 606 /2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफ़सीएस: 4206 | सीओपी नं. 1774
आईसीएसआई यूडीआईएन: F004206C000280537
दिनांक : 12 मई 2021 | ठाणे

निदेशकों के गैर-अपात्रता संबंधी प्रमाण पत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) और विनियमन 34(3) के अनुरूप (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई-400005

हमने निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच की है:

i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 164 के तहत अपेक्षित गैर-निरर्हता की घोषणा;

ii) अधिनियम की धारा 184 के तहत अपेक्षित प्रतिष्ठान तथा हितों का प्रकटन; (इसके उपरांत 'संबंधित दस्तावेजों' के रूप में उल्लेखित)

सीआईएन: L65190MH2004GOI148838 धारित आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (कंपनी), जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ़ परेड, मुंबई - 400005 है, के निदेशकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के निदेशक बोर्ड ('बोर्ड') को प्रस्तुत किए अनुसार तथा कंपनी द्वारा रखरखाव किए गए संबंधित रजिस्टरों, अभिलेखों, फॉर्मों और रिटर्न को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के खंड (10) (i) के पैरा सी की अनुसूची V के साथ पठित विनियमन 34(3) के अनुपालन में यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से हमारे पास उपलब्ध कराये गए हैं.

यह निदेशकों की जिम्मेदारी है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित दस्तावेज़ संपूर्ण एवं सटीक जानकारी के साथ प्रस्तुत करें.

कोविड 19 महामारी तथा सरकार द्वारा लॉकडाउन/ लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन से हमने अपना सत्यापन कार्य कंपनी द्वारा इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर किया है.

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/ निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना बैंक का दायित्व है. हमारा दायित्व अपने सत्यापन के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है.

हमारी उपरोक्त उल्लिखित जांच और उचित एवं आवश्यकता के अनुसार हमारे द्वारा किए गए अन्य सत्यापनों (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) सहित) के आधार पर, हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान तथा कंपनी, इसके अधिकारियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि नीचे दी गई सूची में 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी बोर्ड का कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय अथवा ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण से नियुक्ति या कंपनी निदेशक के रूप में बने रहने से विवर्जित या अयोग्य घोषित नहीं हैं.

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख
1.	श्री ज्ञान प्रसाद जोशी	00603925	28/08/2015	लागू नहीं
2.	डॉ आशिमा गोयल	00233635	28/04/2017	08/12/2020
3.	श्री भुवनचन्द्र बालकृष्ण जोशी	06713850	09/10/2017	लागू नहीं
4.	श्री समरेश परिडा	01853823	19/05/2018	लागू नहीं
5.	श्री जंबुनाथन नारायणन *	05126421	19/05/2018	लागू नहीं
6.	श्री सुधीर श्याम	08135013	16/05/2018	08/06/2020
7.	श्री राकेश शर्मा	06846594	10/10/2018	लागू नहीं
8.	श्री राजेश कंडवाल	02509203	21/01/2019	लागू नहीं

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख
9.	श्री दीपक सिंघल	08375146	28/02/2019	लागू नहीं
10.	श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर	08377808	05/03/2019	लागू नहीं
11.	श्री मंगलम रामसुब्रमणियन कुमार	03628755	13/05/2019	लागू नहीं
12.	सुश्री मीरा स्वरूप	07459492	20/08/2019	लागू नहीं
13.	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	02262530	20/09/2019	लागू नहीं
14.	श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार	03022106	15/01/2020	लागू नहीं
15.	श्री अंशुमन शर्मा	07555065	11/06/2020	लागू नहीं
16.	श्रीमती पी.वी. भारती	06519925	14/01/2021	लागू नहीं

*दिनांक 19 मई 2018 से बैंक के स्वतंत्र निदेशक श्री जंबुनाथन नारायणन (डीआईएन 0512642) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन प्रस्तुत अपने प्रकटीकरण में प्रकट किया है कि वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा प्रबंधित स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में अपने पंजीयन का नवीकरण निर्धारित अवधि में नहीं करा पाए थे, जिसके चलते डेटाबैंक में उनका पंजीयन दिनांक 8 फरवरी 2021 से समाप्त हो गया है.

हमें यह सूचित किया गया है कि उनका नाम पुनः शामिल करने हेतु उक्त मामले को आईआईसीए और कंपनी कार्य मंत्रालय के समक्ष रखा गया है. रिपोर्ट तैयार करने तक उनकी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. श्री जंबुनाथन द्वारा किए गए प्रकटन तथा बैंक द्वारा की गई पुष्टि के आधार पर हम यह नोट करते हैं कि औचित्य और बेहतर अभिशासन के तहत जब तक श्री जंबुनाथन का नाम डेटाबैंक में पुनः शामिल नहीं हो जाता, वे बोर्ड/ समितियों की बैठक में अनुपस्थिति के लिए छुट्टी की अनुमति लेते रहेंगे.

यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के मामले संचालित करने में उनकी दक्षता अथवा प्रभाविता का आश्वासन देता है.

यह प्रमाणपत्र, 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में प्रकटीकरण हेतु कंपनी के अनुरोध पर जारी किया गया है

कृते **एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.**
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड P1991MH040400
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र नं.: 606/2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफ़सीएस 4206 सी पी नं. 1774
आईसीएसआई यूडीआईएनः F004206C000280614
दिनांक : 12 मई 2021 | ठाणे